Website : www.akhilbharathindumahasabha.org
E-mail : editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org

प्रत्येक बुधवार को प्रकाशित

प्रति अंक मूल्य 4 रुपये

अखिल भारत
हिन्दू महासभा का मुखपत्र

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

वर्ष- 42 अंक-53
कल्पादि सम्वत् 1972949118

सम्पादक
मुन्ना कुमार शर्मा

दिनांक 20 मार्च से 26 मार्च 2019 तक
फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी से चैत्र कृष्ण षष्ठी 2075 तक

वार्षिक शुल्क 150 रुपये
पृष्ठ संख्या 12

विनायक चतुर्थी..... पृष्ठ- 2

केला गुणों में अकेला... पृष्ठ- 4

अमर क्रांतिकारी... पृष्ठ- 5

देश अपना प्रदेश... पृष्ठ- 6

बरकरार रहे पाकिस्तान... पृष्ठ- 12

- असंवैधानिक है धर्मनिरपेक्षता
- राम मंदिर निर्माण पर मध्यस्थता कितनी जायज
- सरस्वती सभ्यता और कृषि कर्म
- मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी संशोधन का विरोध
- सेना को लेकर हो रही राजनीति राष्ट्रीय भावना के खिलाफ

पूरे जोश के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगा अखिल भारत हिन्दू महासभा

१०० सीटों पर उतारेंगे अपने उम्मीदवार

● संवाददाता ●

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अखिल भारत हिन्दू महासभा ने ऐलान किया है कि इस चुनाव में महासभा लगभग १०० सीटो पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने कहा है कि २०१४ में भाजपा की सरकार ने जो दावा किया था, उसको पूरा नहीं किया है। हिन्दुओं ने भाजपा को इसलिए वोट दिया शेष पृष्ठ 10 पर

चुनाव की रणभंरी बजी, आचार संहिता लागू

धनबल और बाहुबल पर लगे अंकुश–हिन्दू महासभा

● संवाददाता ●

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जिसके मुताबिक पहले चरण में ११ अप्रैल को २० राज्यों की ६१ सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें आंध्र प्रदेश की २५, यूपी की ८, बिहार की ४, महाराष्ट्र की ७, अरुणाचल प्रदेश की २, असम की ५, छत्तीसगढ़ की १, जम्मू–कश्मीर की २, मणिपुर की १, मेघालय की २, मिजोरम की १, नागालैंड की १, ओडिशा की ४, सिक्किम की १, उत्तराखंड की ५, पश्चिम बंगाल की २, लक्षद्वीप की १, तेलंगाना की १७, त्रिपुरा की १ और अंडमान की १ सीटें शामिल हैं। दूसरे चरण में १८ अप्रैल को १२ राज्यों की ६७ सीट पर वोट पड़ेंगे. इनमें असम की ५, बिहार की ५, छत्तीसगढ़ की ३, जम्मू–कश्मीर की २, कर्नाटक की १४, महाराष्ट्र की १०, मणिपुर की १, ओडिशा की ५, तमिलनाडु की ३६, त्रिपुरा की १, उत्तर प्रदेश की ८, पश्चिम बंगाल की ३ और पुडुचेरी की १ सीटें शामिल हैं। तीसरे चरण में २३ अप्रैल को १४ राज्यों की ११५ सीटों पर मतदान होगा. इनमें असम की ४, बिहार की ५, छत्तीसगढ़ की ७, गुजरात की २६, गोवा की २, जम्मू–कश्मीर की १, कर्नाटक की १४, केरल की २०, महाराष्ट्र की १४, ओडिशा की ६, उत्तर प्रदेश की १०, पश्चिम बंगाल की ५, दादरा और नगर हवेली की १, और दमन–दीव की १ सीटें शामिल हैं। चौथे चरण में २६ अप्रैल को ६ राज्यों की ७१ सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें बिहार की ५, जम्मू–कश्मीर की १, झारखंड की ३, मध्य प्रदेश की ६, महाराष्ट्र की १७, ओडिशा की ६, राजस्थान की १३, शेष पृष्ठ 10 पर

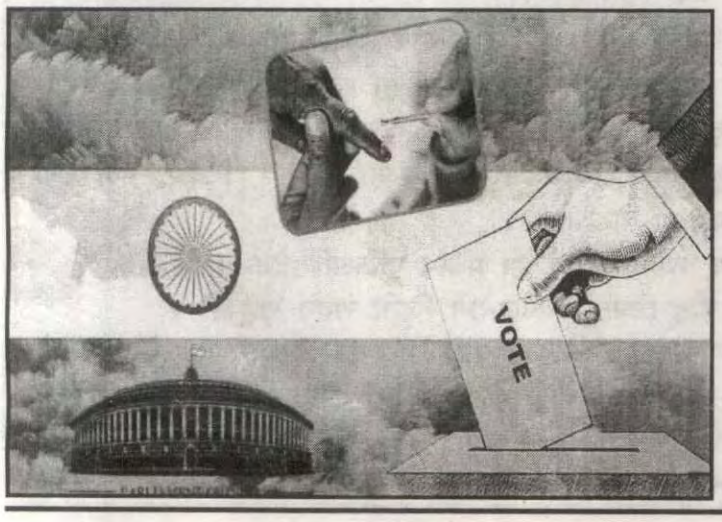

'विनायक चतुर्थी'

पं. दीपक चतुर्वेदी

हिन्दू पंचांग में हर एक चन्द्र महीने में दो चतुर्थी तिथि होती है। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है तथा अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। भारत के उत्तरी एवं दक्षिणी राज्यों में संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। संकष्टी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है 'कठिन समय से मुक्ति पाना'।

विनायक चतुर्थी कब है : मुख्यतः विनायक चतुर्थी भाद्रपद महीने में आती है, हालाँकि विनायक चतुर्थी प्रत्येक महीने में आती है। भाद्रपद महीने की विनायक चतुर्थी को 'गणेश चतुर्थी' कहा जाता है। गणेश चतुर्थी हिन्दुओं का अत्यधिक शुभ त्यौहार है जो कि सम्पूर्ण भारत सहित पूरे विश्व में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है जो कि हिन्दुओं का अत्यधिक शुभ त्यौहार है, यह पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। 'भगवान श्रीगणेशजी' समृद्धि, ज्ञान व अच्छे भाग्य के प्रतीक हैं। यह त्यौहार पूरे भारत में ११ दिन पूरे उत्साह व जुनून के साथ मनाया जाता है।

गणेश चतुर्थी/विनायक चतुर्थी का महत्व : गणेश चतुर्थी, जिन्हें विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू धर्म के अन्य देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश के महत्व को दर्शाता है। हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, यह दिन आम तौर पर अगस्त या सितंबर महीने के आसपास आता है। गणेश चतुर्थी के दिन, श्रद्धालु दस दिनों के लिए पूजा की वेदी पर भगवान श्रीगणेशजी की प्रतिमा को स्थापित कर उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। गणेश चतुर्थी उत्सव को भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहुत उत्साह, जोश और भव्यता से मनाया जाता है। महाराष्ट्र की सामान्य आबादी उन्हें अपने दिव्य भगवान के रूप में देखती है और इस १० दिवसीय उत्सव के बीच 'गणपति बप्पा मोरिया' के मंत्रों का उच्चारण करती है। दसवें दिन, संगीत और भजनों के साथ गणपति जी की शोभायात्रा निकाली जाती है। उसके बाद मूर्तियों को समुद्र में या अन्य बहते पानी में विसर्जित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि हर साल भगवान गणेश कैलाश पर्वत से १० दिन तक अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उतरते हैं, और अंतिम दिन वे अपने लोक में माता पार्वती और भगवान शिव के पास वापस लौट जाते हैं। यह उनके श्रद्धालुओं के लिए सबसे भावुक समय होता है और वे

शेष पृष्ठ 11 पर

साप्ताहिक राशिफल

मेष : इस सप्ताह स्थितियां अच्छी व बुरी दोनों हो सकती है। ऑफिस की चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है। आपकी ऐसी समस्याओं का समाधान होगा जिनसे आज–तक आप जूझते रहें है। अधिकांश मामलों में स्थितियॉ आपके अनुकूल रहेंगी।

वृष : नयी योजनाओं पर कार्य करने और सफलताओं के प्रति लालसा की वजह से आप–अपने पथ से भटक सकते है। लोग आपसे अपेक्षा करेंगे, इस वजह से आप लक्ष्य हासिल करने में कठिनाई महसूस करेंगे। किसी विश्वसनीय साथी से निराशा मिल सकती है।

मिथुन : कुछ लोगों को इस वक्त सतर्कता पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उच्च–अधिकारियों से सहयोग की आशा रखना व्यर्थ है। गम्भीर स्थितियों का शान्तिपूर्वक ढ़ग से सम्मान करें।

कर्क : इस सप्ताह लोग आपके कार्य क्षेत्र में आक्रमण करेंगे लेकिन अपनी रणनीति में परिवर्तन कर आप पुनः काबिज हो जायेंगे। किसी मामलें में आश्चर्यजनक तथ्य सामने आयेंगे.। आपको–अपनी कमियॉ ढूढने की आवश्यकता नजर आ रही है।

सिंह : आप संघर्षरत रहेंगे किन्तु उसके बावजूद भी आप में एक नयी उर्जा का संचार होगा। विरोधी आपको अस्थिर करने का प्रयास करेंगे लेकिन उन्हे अन्ततः मायूस ही होना पड़ेगा। आप विपरीति परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए कठिन संघर्ष करेंगे।

कन्या : इस सप्ताह सामाजिक सम्बन्धों को लेकर काफी उतार–चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के न्यायिक मामलें लापरवाही की वजह से फंस सकते है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिल पाने के कारण मन उदासीन रह सकता है।

तुला : यह सप्ताह आपके लिए नये परिवर्तन लेकर आयेगा। आप शन्ति का अनुभव करेंगे एंव परिजनों के साथ समय व्यतीत करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप नयें मुकाम हासिल कर सकते है। आप प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए आतुर दिख रहें है।

वृश्चिक : इस सप्ताह आप स्वयं के आत्म–विश्वास से लबरेज नजर आयेंगे। आवश्कताओं और अपेक्षाओं में सही तालमेल की वजह से आप बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे। नवयुवकों के प्रेम सम्बन्ध में सुधार नजर आयेगा। आप उपभोग से जुड़ी वस्तुओं में धन का व्यय अधिक करेंगे।

धनु : कुछ लोगों को नौकरी आदि में परिवर्तन सम्बन्धी महत्व निर्णय लेने पड़ सकते है। यदि आप दृढ़प्रतिज्ञ रहेंगे तो समस्याओं का समुचित हल अवश्य निकलेगा। विवादित मामलों के निर्णय आपके पक्ष में आते दिख रहें हैं। आर्थिक दृष्टि से कुछ उतार–चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।

मकर : स्वयं को शिथिल महसूस करेंगे, जिसके कारण कार्यो में बाधायें आ सकती है। अथक परिश्रम के बावजूद ही सफलता प्राप्त होगी। किसी पर शीघ्र विश्वास कर लेना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण कार्यो को करते समय एकाग्रता और संयम बनाये रखें।

कुम्भ : आप समस्याओं की जड़ तक पहुँचेंगे और समाधान ढूढने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में अड़चने आ सकती है, किन्तु आप–आपने विवेक से काम लेगें तो कार्य बनेंगे। कठिनाइयों के दौर में थोड़ी सी सावधानी बरतनें से बोझ हल्का हो जायेगा।

मीन : इस सप्ताह विशेष परिस्थितियों में समस्याओं का हल स्वतः सामने आयेगा। परिवर्तन का स्वागत करें, क्योंकि आप मुश्किल हालातों से गुजर रहें है। अपनों पर संदेह की वजह से आप तनाव में आ सकते है।

पं० दीनानाथ तिवारी

पाठक पत्र

प्रतिष्ठा में
श्री मुन्ना कुमार शर्मा
संपादक -हिन्दू सभावार्ता सभा
नई दिल्ली-११०००१

आदरणीय बन्धुवर!

आपके यशस्वी–तेजस्वी संपादन में प्रकाशित "हिन्दू सभा वार्ता" का अद्यतन अंक मिला। इसके पूर्व भी अंक मिलते रहे हैं। आपकी इस उदार आत्मीयता के प्रति मैं सदैव कृतज्ञ हूँ। हिन्दू समाज–संस्कृति एवं देश–राष्ट्र की हित–रक्षा में सन्नद्ध "हिन्दू सभा वार्ता" का प्रत्येक अंक ज्वलन्त –जागृत चिन्तन से सम्पन्न रहता है। यह साप्ताहिक हिन्दी–हिन्दू–हिन्दुस्तान का सजग प्रहरी है। संपादकीय सहित इसका प्रत्येक आलेख/रचना–सन्देश अंक को पठनीय –विचारणीय ही नहीं, अपितु संग्रहणीय भी बनाता है। इस निर्भीक, समर्थ–सशक्त एवं उल्लेखनीय–अविस्मरणीय संपादन–प्रकाशन हेतु शत शत! साधुवाद।

सादर आपका

भानुदत्त त्रिपाठी 'मधुरेश'

श्रीरामचरितमानस

अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता।।
काल सुभाउ करम बरिआईं। भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाईं।।

विधाता जब इस प्रकार का (हंस का) विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल–स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग (साधु) भी माया के वश में होकर कभी–कभी भलाई से चूक जाते हैं।।१।।

सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जसु देहीं।।
खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू।।

भगवान् के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुःख –दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी–कभी उत्तम सडग पाकर भलाई करते हैं; परन्तु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता।।२।।

लखि सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ।।
उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू।।

जो (वेषधारी) ठग हैं, उन्हें भी अच्छा (साधु का–सा) वेष बनाये देखकर वेष के प्रताप से जगत् पूजता है; परन्तु एक–न–एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का हाल हुआ।।३।।

3

साप्ताहिक

हिन्दू सभा

वार्ता

दिनांक 20 मार्च से 26 मार्च 2019 तक

अध्यक्षीय

सेना को लेकर हो रही राजनीति राष्ट्रीय भावना के खिलाफ

भारतीय सेना के पराक्रम पर जो लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिये। सैनिकों ने जो पराक्रम पाकिस्तान में घुसकर दिखाया और आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया उस पर अब राजनीतिक लोग अपनी–अपनी रोटियां सेंकने पर लगे हैं कोई मारे गये आतंकियों की संख्या जानना चाहता है तो कोई उस पर सबूत चाहता है कि आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई या केवल जंगलों को ही नुकसान पहुँचाया गया। मानने की यह बात है कि यदि सेना ने आतंकियों को नुकसान नहीं पहुँचाया तो पाकिस्तान ने भारत में लड़ाकू विमान एफ–१६ से भारतीय सीमा पर बमबारी क्यों की और सैन्य ठिकानों को क्यों निशाना बनाना चाहता था। जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की थी उसके दूसरे दिन ही पाकिस्तान ने एफ–१६ लड़ाकू विमान से भारतीय सीमा में घुसकर बमबारी शुरू की थी तभी विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान का लड़ाकू विमान एफ.१६ मार गिराया था और उनका विमान MIG-21 भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके चलते पाकिस्तानी नागरिकों ने अभिनंदन को पकड़ लिया था और उनको काफी मारा–पीटा था। जिसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था। बाद में वहं की सेना ने अपने कब्जे में लेकर अभिनंदन से पूछताछ भी की थी जिसका भी वीडियो आया था। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था, तभी विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सरकार रिहा करने पर मजबूर हुई थी। इन सब के बीच भारतीय सेना के शौर्य पर राजनीतिक उठापटक चालू हो गयी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक के दूसरे दिन ही उमर अब्दुल्ला ने वायुसेना पर सवाल उठाया था कि जो एयर स्ट्राइक की गयी है, वह बालाकोट भारतीय हिस्से में है। जबकि भारतीय सीमा से सटा हुआ बालाकोटे है न कि पाकिस्तान वाला बालाकोट। यह सरकार को बताना पड़ा था कि यह बालाकोट पाकिस्तान वाला है। इसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। बिना जानकारी के ऐसी बयानबाजी नेताओं की आदत सी हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिये और यह भी कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई व इस ऑपरेशन की जानकारी विपक्ष को भी नहीं साझा की। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान से वार्ता की बात कह रहे थे और जब प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद विपक्ष की सर्वदलीय बैठक में सभी से पाकिस्तान के खिलाफ सहमति मांगी तो सभी उनके पक्ष में रहे और सभी ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की थी। तब सिद्धू भी सुर में सुर मिला रहे थे लेकिन जब भारतीय विंग कामंडर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए मजबूर हो गया तब इमरान की दरियादेली की बात करने लगे। फिर वार्ता का सुर अलापना शुरू कर दिया। बाद में सिद्धू भी सेना की कार्रवाई का सुबूत मांगने लगे कि इस कार्रवाई में कितने आतंकी मरे उसकी जानकारी साझा की जाये। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी भारतीय सेना के पराक्रम को न देखते हुए एयरस्ट्राइक का सुबूत मांगने लगे। उन्होंने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जब अमेरिका ने कार्रवाई की थी तब उन्होंने सैटेलाइट के जरिये तस्वीरें साझा की थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि यह तकनीकी का युग है ऐसे में सैटेलाइट के माध्यम से सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। आज जो लोग इन कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं उन्हें यह भी देखना चाहिये कि दूसरे देश क्यों भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। ईरान भी तो मुस्लिम देश है फिर पाकिस्तान के आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्यों कह रहा है और उसने भारतीय सेना जैसी कार्रवाई करने की चेतावनी तक दे डाली है। बता दें १३ फरवरी को पाकिस्तान से सटी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सीमा में एक आत्मघाती हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के २७ जवान शहीद हो गए थे। जरूरी नहीं है कि आप सरकार की तारीफ करें लेकिन सेना के शौर्य पर ऊंगलियां उठाना निश्चित रूप से राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है और सेना के मनोबल को गिराने वाला होता है।

राष्ट्रीय उद्बोधन

चन्द्र प्रकाश कौशिक

राष्ट्रीय अध्यक्ष

E-mail : chandraprakash.kaushik@akhilbharathindumahasabha.org

सम्पादकीय

राम मंदिर निर्माण पर मध्यस्थता कितनी जायज

अयोध्या भूमि विवाद को हल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को मध्यस्थता के जरिए निकाला जाए। इसके लिए रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसमें श्रीश्री रविशंकर और श्रीराम पंचू शामिल हैं। हालांकि, श्रीश्री रविशंकर के नाम पर विवाद शुरू हो गया है। दोनों पक्षों ने पैनल में रविशंकर को शामिल करने पर ऐतराज जताया है। बहरहाल, मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की प्रक्रिया चार हफ्ते में शुरू हो जाएगी और आठ हफ्ते में पूरी हो जाएगी। जब तक बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पूरी बातचीत गोपनीय रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैनल में शामिल लोग या संबंधित पक्ष जानकारी नहीं देंगे। देखा जाए तो अयोध्या मामले में पहली बार मध्यस्थता की कोशिश नहीं है। इससे पहले तीन बार ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं। लेकिन विवाद किसी नतीजे के मुकाम तक नहीं पहुंच सका। हालांकि पहली बार है जब कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की पहल की जाएगी।अयोध्या मामले को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने की इससे पहले कई कोशिशें हो चुकी हैं। पहली कोशिश ९० के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के समय में हुई। हिंदू.मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बातचीत के सिलसिले भी शुरू हो गए। विवाद हल होता नजर आ रहा था और समझौते का ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा था लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि वीपी सिंह सरकार को विवाद को सुलझाने वाले ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा। वीपी सिंह के अयोध्या विवाद के समाधान की दूसरी पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के दौर में शुरू हुई और यह समाधान के करीब थी, लेकिन दुर्भाग्य था कि उनकी सरकार चली गई। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने भी प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंतिम हल तक नहीं पहुंचा जा सका। इसके बाद सरकार के स्तर पर दोबारा समझौते के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी ने २००३ में काशी पीठ के शंकराचार्य के जरिए भी अयोध्या विवाद सुलझाने की कोशिश की थी। तब दोनों पक्षों से मिलकर जयेंद्र सरस्वती ने भी भरोसा दिलाया था, मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा तब भी कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी उलझन वहां की जमीन को लेकर है। उस जमीन के कुछ हिस्से पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा है और कुछ पर निर्मोही अखाड़े का। राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले संगठनों का कहना है कि पूरी जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए मिलनी चाहिए। जमीन संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयागराज हाईकोर्ट लंबे समय तक जद्दोजहद करता रहा। फिर सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर इससे संबंधी सभी मामलों को एक साथ जोड़ा गया। पर अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मुश्किलें बनी हुई हैं। इसीलिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने बातचीत के जरिए इसके समाधान पर विचार किया है। इस मामले में एक पक्षकार अखिल भारत हिन्दू महासभा का मानना है कि मध्यस्थता की निर्णय तभी मान्य है जब इसका हल राम मंदिर निर्माण के साथ खत्म हो, अन्यथा की स्थिति में संघर्ष जारी रहेगा। इसी तरह हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठनों में भी कई बिंदुओं पर मतभेद नजर आता है। इसलिए यह दावा करना मुश्किल है कि दोनों पक्षों की राय उनके समूचे वर्ग की राय मान ली जाएगी। दरअसल राम मंदिर विवाद को राजनीतिक रंग दे दिए जाने के बाद से आपसी रजामंदी से समस्या को हल कठिन होता गया है। इसलिए इसके निपटारे को लेकर राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी दरकार है। इस बारे में प्रचलित हैं कि जब मस्जिद का निर्माण हुआ तो मंदिर को नष्ट कर दिया गया या बड़े पैमाने पर उसमे बदलाव किए गए। कई वर्षों बाद आधुनिक भारत में हिंदुओं ने फिर से राम जन्मभूमि पर दावे करने शुरू किए जबकि देश के मुसलमानों ने विवादित स्थल पर स्थित बाबरी मस्जिद का बचाव करना शुरू किया। वर्ष १९४७ में भारत सरकार ने मुसलमानों के विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया गया जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। १९८४ में विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का एक अभियान शुरू किया कि हमें दोबारा इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन वापस चाहिए। १९८६ में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। ३०सितंबर २०१० को एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित किया और तीन हिस्सों में बांट दिया। बाद में नौ मई२०११ को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर रोक रहेगी। साथ ही विवादित स्थल पर सात जनवरी१९९३ वाली यथास्थिति बहाल रहेगी।बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने तीन मध्यस्थों की नियुक्ति कर दोनों पक्षों की राय जानने और किसी नतीजे पर पहुंचने की कवायद शुरू की है।

राष्ट्रीय आह्वान

मुन्ना कुमार शर्मा

राष्ट्रीय महासचिव

E-mail : munna.sharma@akhilbharathindumahasabha.org

केला गुणों में अकेला

✍ डॉ. श्याममनोहर व्यास

सिंह व्यसन् सत् पुरुष वचन,
कदली फले एक बार।
तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़ेना
दूंजी बार।।

केले का पेड़ एक ही बार अच्छा फल देता है। केला एक ऐसा फल है जो हर देवता को श्रद्धापूर्वक चढ़ाया जाता है। यह सभी ऋतुओं में उपलब्ध होता है। पके और कच्चे दोनों प्रकार के केलों का उपयोग होता है।

एक आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार केला सुबह में खाया जाये तो उसकी कीमत ताँबे जितनी, दोपहर में खाने पर चाँदी जितनी और शाम को खाने पर उसकी कीमत सोने के बराबर है। केले की मिठास उसमें विद्यमान ग्लूकोज पर आधारित है। यह शर्करा प्राकृतिक होती है। केले की शर्करा स्नायुओं को पोषण और शक्ति प्रदान करती है।

रासायनिक विश्लेषण : केले में लौह तत्व भरपूर होता है। लौह तत्व ०.४१ मि.ग्रा., ताँबा ०.१ मि.ग्रा. और फालिक एसिड ०.७० मि.ग्रा. उपलब्ध होता है। एक केला १०० कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। केले में विटामिन डी, ई, जी अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त केले में मैग्नीशियम, सल्फर गन्धक और कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है। मैग्नीशियम स्मरण शक्ति बढ़ाता है। अन्य फलों की तुलना में केले में पानी कम होता है। ठोस अधिक होता है। केला आसानी से हजम हो जाता है। केले में विद्यमान शर्करा उपापचय (मेटाबोलिज्म) के लिए काफी उपयोगी होती है।

औषधीय गुण : केला सस्ता, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों वाला फल है। केला अपने आप में एक सम्पूर्ण आहार एवं अनेक व्याधियों रोगों के प्राकृतिक उपचार में सहायक होता है। इसके निम्न औषधीय गुण हैं–

❖ केले का सेवन मानसिक तनाव कम करता है। केले में विद्यमान पोटेशियम रक्त में पोटेशियम की मात्रा संतुलित कर मानसिक तनाव व डिप्रेशन कम करता है।

❖ हृदय रोगों में भी केले का सेवन लाभ पहुँचाता है। दूध के साथ एक केले का सेवन करें।

❖ केले में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है अतः इससे रक्त में होमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। जिसमें एनेमिया रोग ठीक होता है।

❖ केले में प्राकृतिक 'एंटासिड' होने से पेट में जलन होने पर केला खाने से आराम मिलता है।

❖ केले में ट्रिप्टोफेन नामक प्रोटीन होता है जो व्यक्ति को मानसिक अवसाद से मुक्ति दिलाता है।

❖ केले उच्च रक्तचाप को कम कर नियंत्रित करते हैं।

❖ पक्के केले और घी के सेवन से पित्त रोग मिटता है।

❖ जंगली कदली के पत्तों की राख एक माशा एक तोला शहद मिलाकर चाटने से हिचकी मिटती है।

❖ भोजन करने के बाद तीन या दो केले खाने से व्यक्ति की दुर्बलता दूर होती है। पक्के केले शहद के साथ खाने से पीलिया में लाभ मिलता है।

❖ केले खाने से मधुमेह रोगियों को बार–बार लघुशंका के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

❖ एक पका केला पाँच ग्राम घी के साथ सुबह–शाम दिन में या दो बार खाने से महिलाओं का प्रदर रोग मिटता है।

❖ केले में दही मिलाकर खाने से अतिसार मिटता है। इस प्रकार केला पौष्टिक बलवर्धक रोग निवारक एवं वातनाशक फल है।

❖ केले के फूल रक्त, पित्त, कीड़े, क्षय और कोढ़ को मिटाते हैं। विटामिन सी की कमी को दूर करते हैं।

❖ विटामिन ए ज्यादा होने से दाँतों के लिए उपयोगी है। इसमें विटामिन एवं लौह तत्त्व, ताँबा, मैग्नीज़, फास्फोरस और कैल्शियम काफी मात्रा में होता है। केला आंतों में रहने वाले हानिकारक जीवाणुओं से लड़ते हैं, शक्ति पहुँचाते हैं। आंतों की सड़न रोकते हैं।

❖ केले के वृक्ष का चार–पाँच तोले पानी गर्म घी में डालकर पीने से पेशाब जल्दी आने लगता है।

❖ प्रदर रोग में केले के पत्तों को बारीक पीसकर दूध में डालकर खीर बनाकर स्त्रियों को खिलाने से लाभ मिलता है। केला नींबू के साथ खाने से पेचिश मिटती है।

❖ गले की सूजन मिटाने के लिए केले के छिलके गले पर बाँधें। यह प्रयोग टॉन्सिल में भी लाभ पहुँचाता है।

❖ हाई ब्लडप्रेशर के मरीज के लिए भी केले बहुत उपयोगी हैं। इनमें सोडियम और पोटैशियम बहुत होता है।

❖ टी.बी. के मरीजों को शरीर में शक्ति देने के लिए पके केले दूध के साथ जरूर देने चाहिए। कच्चे केले शेष पृष्ठ 10 पर

व्रत में ही नहीं आम दिनों में भी खाएँ सेंधा नमक

✍ संजना शिप्पी

आमतौर पर सेंधा नमक का उपयोग व्रत के दिन भोजन में करते हैं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आम दिनों में इसका उपयोग करना अच्छा है। आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. गोपाल कृष्ण मिश्र ने बताया कि आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयों में सेंधा नमक का उपयोग होता है। हमें उपवास रखना है तब हम सेंधा नमक का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन व्रत ही नहीं, आम दिनों में भी सेंधा नमक जरूर खाना चाहिए। सेंधा नमक के उपयोग से रक्तचाप पर नियंत्रण रहता है। इसकी शुद्धता के कारण ही इसका उपयोग व्रत के भोजन में होता है। सेंधा नमक के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि यह आपको इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इससे वात, पित्त और कफ दूर रहता है। यह पाचन में सहायक होता है और साथ ही इसमें पोटैशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हृदय के लिए लाभकारी होता है। हाई बीपी है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। यह नमक रक्त विकार आदि के रोग जिसमें नमक खाने की मनाही होती है, उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। यह आँखों के लिए भी लाभदायक है। दस्त, कृमिजन्य रोगों में भी लाभ पहुँचाता है।

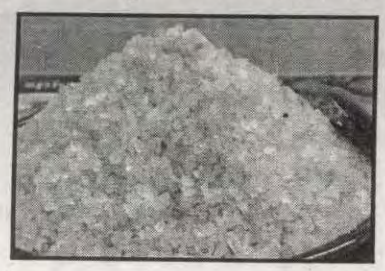

कोलेस्ट्राल कम करे 'सलाद'

✍ मोहन भारद्वाज

खाने में हम सलाद खाते हैं लेकिन सिर्फ खाने के लिए ही उसका सेवन करते हैं। सलाद खाने से कई बीमारियाँ दूर रहती हैं। रोज सलाद खाने से कोलेस्ट्राल कम रहता है। सलाद में प्रचुर मात्रा में कोलेस्ट्राल पाया जाता है। यह सभी के लिए जरूरी तत्व होता है। इसके अलावा रोज सलाद खाने से कोलेस्ट्राल कम रहता है जिससे दिल की बीमारियाँ नहीं होती हैं। सलाद खाने से हमारे रक्त का संचार बढ़ता है। सलाद का सेवन करने से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन मिलते हैं। सलाद खाने से वजन कम होता है। सलाद में सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। यदि कम भोजन कर सलाद भरपूर लिया जाए तो पेट भी भरेगा और वजन भी नियंत्रित रहेगा। सलाद में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट शरीर में थकावट नहीं होने देती है।

परवल मिटाए कब्ज

✍ आर.सी. शर्मा

हरी सब्जियों में परवल मई से सितम्बर महीने तक लोग खूब खाते हैं। लेकिन इसके फायदे कम ही लोग जानते होंगे। परवल खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है। परवल के बीजों में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कब्ज नाशक होते हैं। परवल का सेवन पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। रोज परवल खाने से कब्ज की समस्या नहीं रहती है। परवल में विटामिन–ए, विटामिन–बी१, विटामिन–बी२ और विटामिन–सी के अलावा कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कैलोरी की मात्रा कम कर कोलेस्ट्राल के स्तर को नियंत्रित करता है। परवल के बीज कोलेस्ट्राल और ब्लड शुगर स्तर को प्राकृतिक रूप से ही कम करते हैं। परवल कैलोरी में कम होता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। जिससे वजन कम होता है। परवल एंटीऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होता है, जो बढ़ती उम्र के निशानों जैसे झाइयों, झुर्रियों और बारीक रेखाओं को कम कर त्वचा में कसाव लाने में मदद करता है।

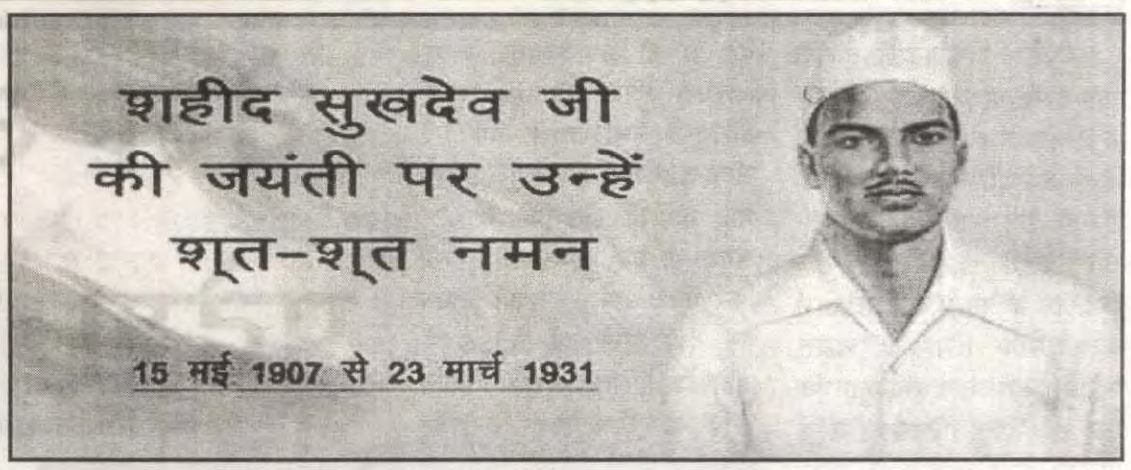

२३ मार्च शहीदी दिवस पर

अमर क्रांतिकारी सुखदेव थापर

२३ मार्च शहीदी दिवस है आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को फाँसी दी गई थी। इनकी शहादत के इतने साल हो जाने के बावजूद ये आज भी हमारे दिलों में धड़कते हैं। आज आजादी की लड़ाई के उपेक्षित नायक सुखदेव थापर कर जिक्र करते हैं। सुखदेव भी भगतसिंह के साथ 'लाहौर नेशनल कॉलेज' के छात्र थे। दोनों ही लायलपुर में पैदा हुए और एक ही साथ शहीद हो गए। दुर्भाग्य से आज तक इस महान शहीद का कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बना है।

कुछ कर गुजरने का जज्बा सुखदेव में बचपन से ही था। कम उम्र में ही पिता के गुजर जाने के बाद सुखदेव का लालन–पालन इनके ताऊ लाला अचिन्त राम ने किया था जो आर्य समाज से प्रभावित थे, इसका प्रभाव सुखदेव पर भी पड़ा और वो अछूत कहे जाने वाले बच्चों को पढ़ाने लगे थे। सुखदेव की उम्र जब करीब १२ साल की थी तब १९१९ में हुए जलियाँवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ। पूरे देश में जबर्दस्त गुस्सा और उत्तेजना थी। सुखदेव के मन पर भी इस घटना का बड़ा असर हुआ। लायलपुर के सनातन धर्म हाईस्कूल से मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया और यहीं उनकी मुलाकात भगतसिंह के साथ हुई। इन दोनों के इतिहास के अध्यापक 'जयचन्द्र विद्यालंकार' थे, जिन्होंने इनके अंदर व्यवस्थित क्रांति का बीज डाला। विद्यालय के प्रबंधक भाई परमानन्द भी जाने–माने क्रांतिकारी थे। १९२६ में लाहौर में 'नौजवान भारत सभा' का गठन हुआ जिसके मुख्य संयोजक सुखदेव थे। इस टीम में भगतसिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचन्द्र विद्यालंकार जैसे क्रांतिकारी भी थे। 'असहयोग आंदोलन' की विफलता के पश्चात् 'नौजवान भारत सभा' का मकसद स्वदेशी वस्तुओं, देश की एकता, सादा जीवन, शारीरिक व्यायाम तथा भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पर विचार आदि करना था। और सुखदेव संगठनकर्ता। लेकिन सुखदेव की जिन्दगी में बड़ा मोड़ तब आया जब सितम्बर, १९२८ में ही दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहर में उत्तर भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक हुई। इसमें एक केन्द्रीय समिति का निर्माण हुआ। संगठन का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' रखा गया। सुखदेव को पंजाब के संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया। भगत सिंह दल के राजनीतिक नेता थे

HSRA ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अलख जगाना शुरू किया। सुखेदव ने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। इसी बीच 'साइमन कमीशन' के विरोध करने पर हुए लाठीचार्ज में जब लाला लाजपत राय जी का देहान्त हो गया तो सुखदेव और भगतसिंह ने ही बदला लेने का फैसला किया। इस सारी योजना के सूत्रधार सुखदेव ही थे। सेन्ट्रल एसेम्बली के सभागार में बम और पर्चे फेंकने और फिर गिरफ्तारी की घटना, और अन्य योजनाओं को भले ही भगतसिंह समेत दूसरे क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया हो लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि सुखदेव इस युवा क्रांतिकारी आंदोलन की नींव और रीढ़ थे। सुखदेव पर किताब लिख चुके डॉक्टर हरदीप सिंह के अनुसार उस समय हुई बैठक में एसेंबली

शेष पृष्ठ 10 पर

आध्यात्मिकता का सत्य स्वरूप

(स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज)

इच्छाएँ, मोह, क्रोध, लोभ आदि मन की असंयत गतिविधियाँ हैं। इसका कारण है जीवन के कुछ पक्षों को तो असम्यक् महत्व देना और दूसरे पक्ष, जो समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, उनकी उपेक्षा करना। हमें ज्ञात नहीं हम कहाँ खड़े हैं। अपने ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य आदि का हमने स्वयं विपरीत मूल्यांकन कर लिया है। युद्ध में यदि आर्मी (सैन्य बल) के जनरल को अपने ही सैनिकों की शक्ति की समझ न हो और अपने सैन्य बल और शत्रु सैन्य बल का तुलनात्मक ज्ञान न हो तो युद्ध में उसकी विजय सन्देहास्पद है। रणक्षेत्र में सीधे बढ़ते जाओ और सोचो–'मैं विजयी होऊँगा', इससे कोई लाभ न होगा। हम रणक्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे। जिस युद्धक्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं, उसके अनेक रूपों का हमें चिन्तन करना होगा। प्रथमतः हमारी अपनी शक्तियाँ, हमारे साथी, हमारे हथियार आदि और इसके अनुरूप विपक्षी दल की शक्तियों का ध्यान। अपने आध्यात्मिक प्रयासों में हम सम्पूर्ण विश्व का सामना कर रहे हैं। किसकी शक्ति अधिक है, हमारी अथवा विश्व की? विश्व हमसे अधिक शक्तिशाली है। हम इसका सामना नहीं कर सकते, इस बात का हमें यदि लेशमात्र भी आभास हो तो हमारा कर्तव्य बनता है कि विश्व के स्तर तक हम अपना विकास करें और इसका सामना करें न कि विश्व से पराजित होकर अधोमुख लौट आयें।

सत्य की राह पर चलने वाले अनेक साधक असफल हो जाते हैं। प्रारम्भ में सभी साधक अच्छे होते हैं, किन्तु वे सदा बुद्धिमान नहीं होते। आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा हो और बुद्धिमान भी हो। अच्छाई होते हुए भी वह भूल कर सकता है। भाव शुद्ध है, हृदय पावन है, सरल है, किन्तु विवेक का अभाव है। इसी कारण वह विश्व से ठोकर खाता है। परिणामतः अवसादग्रस्त होना, जीने के पुराने ढंग से लौटने की प्रवृत्ति आना, सभी कार्यों में निराशा की झलक देखना और इस परिणाम पर पहुँचना कि कुछ भी उचित नहीं है, करने योग्य नहीं है और इस प्रयास का फल कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रयास करना अनुचित नहीं है किन्तु वह प्रयास उचित रूप से अभिव्यक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक प्रयासों में विवेक ही प्रथमतः आकांक्षित है। पुनः गुरु का विचार करते हैं। इस संसार में विवेक किसके पास है? ऐसी शुद्धमति किसके पास है? हम सब जड़, बुद्धि, संकीर्ण और सम्भ्रमित लोग हैं। अपने चतुर्दिक होने वाली घटनाओं, ध्वनियों और दृश्यों से हम क्रोधित हो उठते हैं। निराश होते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। दूर देश में घटित होने वाली घटनाओं से भी हम यहाँ बैठे आकुल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारा तो उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। पुनः एक असम्यक् विनियोग के कारण एक विशेष मनोवृत्ति हममें उदित होती है। परिणाम को ध्यान में रखकर, अनुकूल और प्रतिकूल को भली–भाँति समझकर शुद्ध प्रकृति से युक्त विवेक–बुद्धि होना अनिवार्य है–यदि मैं यह कहता हूँ अर्थात कदम आगे बढ़ाता हूँ तो परिणाम क्या होगा?

कुछ लोग सोचते हैं–हम वन को प्रस्थान करेंगे और कल से ध्यान प्रारम्भ कर देंगे। हम किसी का मुख नहीं देखना चाहते। जंगल में भगवान की खोज करेंगे। विचार तो अति सुन्दर है। इसे बुरा तो कोई नहीं कह सकता किन्तु परिणाम क्या होंगे? हम यदि कल ही जंगल में जाकर बैठ जायें तो क्या भगवान जंगल में कल आ जायेंगे? तत्काल आ जायेंगे भगवान्? वे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। यदि वे आते हैं तो कोई कारण होगा। नहीं आते हैं तो भी कोई कारण होगा। वह कारण हमारे समक्ष स्पष्ट होना चाहिए। सकल–हृदय अखण्ड भगवद्भक्ति तो अचिन्तनीय है। किसी का भी हृदय पूर्णरूपेण ईश्वरोन्मुख नहीं हो सकता, यद्यपि हमें कभी–कभी ऐसा प्रतीत होता है। पुनः हम वही भूल कर रहे हैं–अवचेतन मन के प्रति हम चैतन्य नहीं हैं, उसे तो हम समझ ही नहीं रहे। चेतन रूप से, सम्भव है कि हम पूर्ण रूप से भगवत् चिन्तन कर रहे हैं। इस समय, कदाचित् ईश्वर के अतिरिक्त कौन कोई अन्य चिन्तन कर रहा है? पुनरपि, यह सत्य नहीं है कि इस समय हमारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसी के भाव में निमज्जित है, संलग्न है और यह भी सत्य है कि हम भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं और सजगतापूर्वक उसी का चिन्तन कर रहे हैं क्योंकि हमारा व्यक्तित्व, मात्र चेतन स्तर ही नहीं है। मनोविश्लेषक बताते हैं कि चेतन व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व का लघुतम भाग है। बृहत्तर भाग तो गहरे दबे हुए हैं। अतः जब तक बृहत्तर भाग, अवचेतन अथवा अचेतन लोग, चेतन के स्तर पर नहीं लाये जाते और हमारी चेतन प्रक्रिया के भाग नहीं बन जाते, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व किसी विशेष प्रक्रिया में संलग्न है। हमारी कोई भी प्रक्रिया हमारे सम्पूर्ण अस्तित्व से सम्बद्ध नहीं होती। किसी एक प्रक्रिया में हमारे व्यक्तित्व अथवा अस्तित्व का अंशमात्र ही क्रियारत रहता है। सकलरूपेण तो हम कभी कोई कर्म नहीं कर सकते। कदाचित् ही ऐसा होता है। जब तक सर्वस्व हमारा बाहर नहीं आ जाता, तब तक सम्पूर्णता हमारे प स नहीं आएगी। भगवान पूर्ण रूप हैं और उसी पूर्णत्व की हम आकांक्षा करते हैं तो इसके लिए पूर्ण रूप से ही तो हमें भी आगे बढ़ना होगा। यह तो पूर्ण के लिए पूर्ण की जिज्ञासा है हमारे अस्तित्व के अंश की नहीं।

देश अपना प्रदेश पराया

✍ विनोद कुमार सर्वोदय

देश के विभाजन की त्रासदी सात दशक बाद भी जम्मू–कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे लाखों हिन्दू शरणार्थियों को अभी भी झेलनी पड़ रही है। यह तो सर्वविदित ही है कि भारत–पाक विभाजन के समय सन् १९४७ में सांप्रदायिक दंगो के चलते पाकिस्तान में अपना सब कुछ गंवा कर आये हिन्दू–सिख भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बसे थे। बहुत बड़ी संख्या में ये शरणार्थी आज भारत में सामाजिक व सरकारी सहयोग से संपूर्ण नागरिक अधिकारों के साथ सम्मान से रह रहे हैं। यहाँ तक कि अनेक उच्च पदों को सुशोभित करने के अतिरिक्त इन लोगों में से ही श्री इंद्रकुमार गुजराल व डॉ० मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री व श्री लालकृष्ण आडवाणी उपप्रधानमंत्री भी बने। परंतु खेद यह है कि जो लोग अपनी जान बचाने के लिए जम्मू –कश्मीर के क्षेत्रों में चले गये थे वे आज तक दासों का जीवन जीने को विवश हैं।

पिछले समाचारों के अनुसार विभाजन के समय लगभग २ लाख शरणार्थी जम्मू व घाटी में आकर बसे थे जो अब अखनूर, जम्मू, आरएस पुरा, बिश्नाह, सांबा, हीरानगर तथा कठुआ आदि के सीमान्त क्षेत्रों में रह रहें हैं। इनकी चार पीढियाँ हो चुकी हैं और संख्या भी अब कई लाखों में होगी फिर भी ये अभी शरणार्थी जीवन का दंश झेल रहे हैं। इनमें अधिकांश दलित, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के हिन्दू–सिख हैं।

इनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है परंतु अभी तक जम्मु–कश्मीर राज्य की नागरिकता नहीं मिली है। क्योंकि १९५३ में राज्य सरकार ने निर्वाचन कानून में एक संशोधन किया था जिसके अनुसार जम्मू–कश्मीर की विधान सभा में वही मतदाता होगा जो वहाँ का स्थायी नागरिक होगा और स्थायी नागरिक वही होगा जो १९४४ से पहले राजा हरिसिंह के राज्य की प्रजा होगी। अर्थात इस राज्य में जो १९४४ के पहले से रह रहा है वही वहाँ का स्थायी नागरिक कहलायेगा। इसके पीछे वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री (उस समय वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता था) शेख अब्दुल्ला की हिन्दू विरोधी मानसिकता थी क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इन हिंदू शरणार्थियों को यहाँ बसाया जायें। जबकि १९४८ में मध्य एशिया से आये मुस्लिम समुदाय को वहाँ बसाया गया और उन्हें नागरिकता भी दी गयी। अनेक अवसरों पर इन शरणार्थियों ने पंजाब आदि अन्य राज्यों में जाने की इच्छा की परंतु इनको नागरिक अधिकार दिलवाने का भरोसे दे कर रोक लिया जाता रहा। पश्चिमी पाकिस्तान रियूजी संघर्ष समिति के पदाधिकारी निरंतर भारत सरकार से अपनी व्यथा के लिए चक्कर काटते रहें हैं फिर भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। लगभग २ वर्ष पूर्व समिति के अध्यक्ष श्री लब्बा राम गांधी को प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आदि ने भरोसा दिलाया था कि इनकी समस्या का शीघ्र हल निकाला जायेगा, पर अभी तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। उनका यह भी कहना था कि वे १९४७ में यहाँ आकर बसे थे जबकि राज्य का संविधान दस वर्ष बाद १९५७ से प्रभावी हुआ था।

ये लोग राज्य में भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं खरीद सकते, इनके बच्चों को उच्च तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश निषेध है। इनको राज्य सरकार में अधिकारी तो छोड़ो एक चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल सकती। इनका लोकसभा के चुनाव में तो मताधिकार है परंतु विधान सभा, नगरपालिका व ग्राम पंचायत आदि के चुनावों में कोई अधिकार नहीं। राज्य की अनेक सुविधायें जैसे शिक्षा, कृत्रिम अंग व कानूनी सहायता निशुल्क नहीं मिल सकती। विकलांग व बुजुर्ग लोगों को राज्य के नागरिकों को पेंशन की व्यवस्था है पर इन शरणार्थियों को इससे भी वंचित रखा जाता है। इनके पास राशन कार्ड व गैस कनेक्शन भी नहीं है। जिन गाँवों में केवल हिन्दू शरणार्थी ही हैं तब भी वहाँ का नंबरदार किसी दूसरे गाँव का स्थायी निवासी ही थोपा जाता है। इनको बाहरी मानकर अनुसूचित व दलित जाति के प्रमाण पत्र भी नहीं दिये जाने से केंद्र की अनेक योजनाओं का भी लाभ इनको नहीं मिल पाता। केंद्र सरकार के द्वारा इनके हित में समय–समय पर कुछ फैसले किये परंतु राज्य सरकारों के भेदभाव पूर्ण व्यवहार ने उन्हें लागू ही नहीं होने दिया। यह कैसी दुःखद विडंबना है कि जम्मू– कश्मीर के नागरिक दोहरी नागरिकता के कारण देश व प्रदेश दोनों की सुविधाओं का लाभ उठा रहें है। जबकि इन लाखों लोगों का देश अपना होकर भी प्रदेश पराया बना हुआ है।

विश्व में संभवतः यह अकेला उदाहरण होगा जहाँ शरणार्थियों के मानवाधिकारों का पिछले लगभग ७० वर्षो से निरंतर हनन होने पर भी अंतरराष्ट्रीय संस्थायें उदासीन हैं। जबकि पिछले ५–६ वर्षो में म्याँमार से आने वाले रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों (घुसपैठियों) को राज्य में बसाने के लिये स्थानीय प्रशासन व समाज सकारात्मक हो रहा है। इनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी सक्रिय है। यहाँ यह बताना बहुत आवश्यक है कि पिछले २०–२५ वर्षो से पीओके व पाकिस्तान गए हुए कश्मीरी आतंकवादियों को आत्मसर्पण करने पर उन्हें आर्थिक सहायता व सरकारी नौकरियाँ आदि देकर पुनः कश्मीर में बसाया जा रहा है। इन आतंकवादियों को मुख्य धारा में लाने के नाम पर करोड़ों रुपयों की योजनायें बनाई गयीं जो एक अलग चर्चा का विषय है। जबकि लियाकत अली जैसे अनेक कश्मीरी आतंकवादियों ने पाकिस्तान जाकर वहाँ शादी करके अपनी पाकिस्तानी बीबी व उससे हुए ३–४ बच्चों के साथ वापस आकर कश्मीर में मुस्लिम संख्या बढ़ाना भी जारी रखा है। यहाँ विस्थापित लगभग ५ लाख कश्मीरी हिन्दुओं की समस्या को भी जानना चाहिये जिनको ६० के दशक में कश्मीर छोड़ने को विवश किया गया था। अब उनको भी पुनः कश्मीर में बसाने की चर्चा अनेक भागों में हो चुकी है पर दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव होने से

शेष पृष्ठ 10 पर

बांग्लादेश स्वतन्त्रता दिवस की ४८ वीं वर्ष गाँठ (२५-३-२०१६)

- इसका क्षेत्रफल लगभग ५०००० वर्गमील है।
- पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था।
- यह अविभाजित बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है।
- यहां की सरकारी भाषा बंगला है।
- यहां मुस्लिम १९४७ में ७० प्रतिशत थे अब ९० प्रतिशत हैं।
- मुस्लिम महिलाएँ साड़ी–ब्लाउज तो पहनती हैं लेकिन माथे पर बिन्दी नहीं लगाती हैं और मांग में सिन्दूर नहीं लगाती हैं।
- *मुस्लिम लीग का जन्म* १९०६ में इसकी राजधानी ढ़ाका में हुआ था। ढ़ाका की मलमल बहुत मशहूर है।
- इसका वर्तमान राष्ट्रगान पश्चिम बंगाल के रविन्द्र नाथ टैगोर का लिखा हुआ है।
- यह तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है।
- १९४७ में विभाजन जल्द बाजी में हुआ है इसलिए सीमा रेखा आप्राकृतिक है।
- यहां कट्टरवादी, मुस्लिम, उग्रवादी और हिन्दू विरोधी संगठन चाहे जब सक्रिय हो जाते हैं।
- यहां के मुस्लिमों के प्रायः बड़े बड़े परिवार हैं। छह २, आठ २ बच्चे होना आम बात हैं।
- ये उर्दू विरोधी हैं। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता इन्हें उर्दू भाषी बनाना चाहते थे लेकिन उसका सर्वत्र विरोध हुआ।
- इसकी आय का अधिकांश भाग पश्चिमी पाकिस्तान में खर्च हो रहा था जिसके कारण यह क्षेत्र पिछड़ गया और विकास नहीं हुआ।
- इसकी प्रतिक्रिया में शेख मुजीर्बुरहमान के नेतृत्व में अवामी लीग बनी और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतन्त्र देश बनाने के लिए जन जागृति की और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से समर्थन व सहयोग लिया।
- पश्चिमी पाकिस्तान ने विद्रोह को दबाने के लिए ६३००० सैनिक भेजे लेकिन विद्रोह नहीं दबा। भारत ने सेना भेजकर अवामी लीग का समर्थन किया। अन्त में ६३००० पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्म समर्पण कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान अलग देश बन गया। जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया।
- रोजगार की तलाश में, वहां के लोग, अवैध रूप से असम–पश्चिम बंगाल में, १९४७ से ही आते रहे फिर सपरिवार वहीं बस गए। अब इन दोनों राज्यों में इनकी संख्या लगभग एक करोड़ है। इन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा जाता है जो मुस्लिम हैं।

विशेष : असम की वर्तमान भाजपा सरकार मुस्लिम घुसपैठियों का वोट का अधिकार तथा अन्य सरकारी सुविधाएं समाप्त करने का प्रयास कर रही है जिसकी सराहना की जाती है जबकि अन्य लगभग सभी दल विरोध कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। ऐसी दशा में खंडित भारत को मुस्लिम हिन्दुस्तान/भारत बनाने से कैसे रोका जाएगा? स्वार्थियों, कुछ तो सोचो।

इन्द्रदेव गुलाटी, बुलन्दशहर

असंवैधानिक है धर्मनिरपेक्षता

✍ अशोक त्यागी

भारतीय राजनीति का एक सत्य शब्दाडम्बर भी है। इस शब्दाडम्बर की सीमा बहुत विस्तृत है। लोकव्यवहार के लेकर सांविधानिक व्याख्या तक इसको खतरनाक रूप में देखा जा सकता है। ऐसा ही एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। बार–बार कहा जाता है कि भारत के संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्ष है। संविधान दिवस २६ नवम्बर पर भारत सरकार समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराती हैं जिसमें कहा गया है कि हमारी

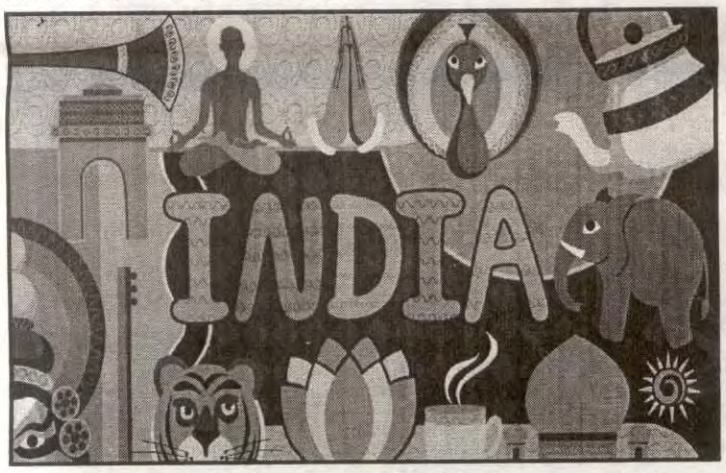

वास्तविक शक्ति धर्मनिरपेक्षता है और यहीं है हमारे सांविधान की मूल भावना। आइए, धर्मनिरपेक्षता पर चलते का एक बार फिर संकल्प लें, धर्मनिरपेक्षता हमारे गणतंत्र की शाक्ति। आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। फिर भी प्रत्येक सत्ताकांक्षी राजनेता इसका प्रयोग करते है और देश को यह बताया जाता है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया, वही भाव हमारे संविधान में निहित हैं। ऐसी धारणा विकसित कर दी गई है जब तक कोई नेता धर्मनिरपेक्षता के बीज मंत्र का जाप नहीं करता, वह ग्राह्य नहीं माना जाता। यहां हिट्लर का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि यदि किसी असत्य को निरंतर बोला जाए तो वह सत्य अनुभव होने लगता है। अधिकांश भारतीय यहीं मानते हैं कि भारत घोषित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। पहली बात तो यही है कि राष्ट्र कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। वह अतीत की आध्यात्मिक प्रेरणाओं, गौरवशाली इतिहास तथा महापुरुषों के सात्विक कर्म और विचारों का सम्मिलित शब्द है और किसी क्षेत्र विशेष की अमूर्त्त अस्मिता हैं। वेद, गीता, रामायण और महाभारत सरीखे हजारों ग्रंथ भारतीय की अस्मिता से जुड़े हैं। श्रीराम हो या भगवान बुद्ध राष्ट्र की असीम ऊर्जा हैं। उनको त्यागा नहीं जा सकता। यदि उनकी अवहेलना होती है तो भारत राष्ट्र के वास्तविक परिचय का त्याग करना है। फिर हम भारत को एक राष्ट्र नहीं कह सकते।

कहा जाता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष माना गया है। यह एक दुष्प्रचार है। आम आदमी भारतीय संविधान का अध्ययन नहीं करता, इसलिए वह इस प्रचार को सत्य स्वीकार करता है। सत्य यह है कि जब देश आपातकाल के अंधकारमयं कालखंड से गुजर रहा था, लोकतांत्रिक शक्तियों का मुख बंद कर दिया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजहठ दिखाते हुए संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोडने का प्रयास किया था लेकिन कांग्रेस के भीतर ही उसका विरोध भी हुआ। सर्वश्री कमलापति त्रिपाठी तथा बाबू जगजीवन राम ने धर्मनिरपेक्ष शब्द पर आपत्ति की। उन्होंने पंथनिरपेक्ष शब्द का सुझाव दिया। अंततः श्पथनिरपेक्ष शब्द को स्वीकार किया गया और ३ जून १९७६ को भारतीय संविधान अधिनियम के अनुच्छेद २ द्वारा संकल्पित प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में परिवर्तित कर दिया गया। यह संविधान का ४२ वां संशोधन था। पंथनिरेपक्ष एक अच्छा शब्द है, यह सकारात्मक तथा समन्वयवादी चिंतन है तथा प्राचीन भारत के स्वाभाविक संस्कार भी हैं, जबकि धर्मनिरपेक्षता एक नकारात्मक सोच है जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्यहीनता तथा सांस्कृतिक परिचय के प्रति उदासीनता तथा तटस्थता भाव को प्रकट करती है। हम इसलिए पंथनिरपेक्ष है कि हमारा संविधान हमें ऐसा सोचने तथा कार्य करने का आदेश देता है? यह धारणा गलत है। भारत का मूल चरित्र ही पंथनिरपेक्षता है। विभिन्न पूजा प्रणालियों में समन्वय तथा आदर भाव भारत में रहा है और अब भी है। पुरातत्व महत्व का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर सांची का माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि वह ईसा से एक शताब्दी पहले का है। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है तो शिव लिंग भी है। देश के अनेक मंदिरों में ऐसा देखा जा सकता है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां सिक्ख गुरुओं के चित्र भी होते हैं। इतिहास साक्षी है कि भारतीयों ने प्रत्येक आध्यात्मिक विचारधारा को सम्मान दिया है। मध्य एशिया के सूफी संतों ने भारत को ही अपनी शरणस्थली इसलिए बनाया था क्योंकि यहां बिना किसी भेदभाव के उनको पूर्ण सम्मान दिया जाता था। अतः यह कह देता कि भारत का संविधान हमें पंथनिरपेक्षता की शिक्षा देता है और हमें बाध्य करता है कि हम साम्प्रदायिक समन्वय भावना को सुरक्षित रखें, भारत के मूल चरित्र तथा उसके अतीत का अपमान है।

पंथनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने पर भी नैतिकता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रश्न खड़े होते हैं। क्या आपातकाल में किया गया संविधान संशोधन वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था का सूचक माना जा सकता है? जब १९७७ में जनता पार्टी की सरकार आती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वे आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किए गए विभिन्न संविधान संशोधनों को रद्द कर देते हैं और तर्क देते हैं कि ये आपातकाल में किए गए संशोधन है, जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। लेकिन वे भी श्पथ निरपेक्ष शब्द को उद्देशिका में शामिल करने पर आपत्ति नहीं करते। यहां हमें भारतीय राजनीति का दोहरा चेहरा दिखाई देता है। जो राजनीतिक नैतिकता का प्रश्न अन्य संशोधन पर उठाया गया, वह पंथनिरपेक्षता पर क्यों नहीं उठाया गया? इतिहास इस प्रश्न का उत्तर अवश्य चाहेगा।

कुछ प्रश्न और भी है जो राजनीतिक नैतिकता और शुचिता को लेकर हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को अवैध घोषित कर चुका था, उन पर चुनाव में भाग लेने पर पांच वर्ष का प्रतिबंध भी था। न्यायालय का यह निर्णय चुनाव जीतने के लिए अलोकतांत्रिक तरीके अपनाने के परिप्रेक्ष्य में था। उनको उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए तीस दिन का समय मिला था, उन्होंने न्यायपालिका के आदेशों की खिल्ली उड़ाते हुए याचिका समय में ही आपातकाल लागू कर दिया और स्वयं को सुरक्षित कर लिया। क्या इस कालखंड में किए गए संविधान संशोधन लोकतांत्रिक परम्परा का उपहास नहीं हैं? यदि है तो संविधान अधिनियम १९७६ के अनुच्छेद दो में संविधान संशोधन का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। संविधान बनने के पश्चात से ही गलतियां होती रहीं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। उसकी उद्देशिका में अंग्रेजी का शब्द फेथ प्रयोग किया गया है, जब संविधान का हिंदी अनुवाद किया गया तो फेथ शब्द का हिंदी अर्थ धर्म लिखा गया, इसी प्रकार अनुच्छेद १५ खंड प्रथम तथा द्वितीय में रिलीजन शब्द का प्रयोग हुआ है, हिंदी में उसको धर्म कहा गया जबकि फेथ तथा रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं है, यहां विश्वास तथा पंथ शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था। तैत्तिरीय आरण्यक में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा धर्म समग्र गतिशील विश्व की प्रतिष्ठा है।

इनका अर्थ यह हुआ कि धर्म वह संज्ञा है जिनका अर्थ प्राणिमात्र के उन स्वाभाविक कर्मो से है जो सात्विक तथा सकारात्मक हों। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय अस्मिता को विस्मृत करने का घातक क्रम चला, लेकिन पंथनिरपेक्षता का भी मान नहीं रखा गया। पूजा पद्धाति में विविधता के आधार पर अल्पसंख्यक वाद तथा बहुसंख्यक वाद को अवधारणा को खतरे के निशान पर प्रोत्साहन दिया गया। समान राष्ट्रीयतायुक्त समाज को उनकी पूजा पद्धति के अनुसार विभाजित कर दिया गया, यह संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार धोषणा पत्र के विपरीत है। द्वितीय महासमर के पश्चात परिवर्तित राजनीतिक

शेष पृष्ठ 11 पर

जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, कमांड़ो, द्वारा मार दिया गया होता यदि अटल बिहारी बाजपेयी ने

- यह इस समय सबसे बड़ा आतंकी है।
- यह नफरत की भाषा बनकर युवकों को आतंकी बनाता है।
- यह पाकिस्तान में रह रहा है।
- १४ फरवरी को, बारूदी कार से, ४० सैनिकों की बस को, नष्ट करने का निर्देश इसी ने दिया था जो श्रीनगर जा रहे थें।
- इसने २०–२५ वर्ष पूर्व, अपने दो साथियों के द्वारा, एक यात्री विमान का अपहरण कराके उसे अमृतसर में उतार कर मांग की थी कि उसे मोटी रकम देकर सुरक्षित रूप से कंधार पहुंचाया जाए अन्यथा वह सभी यात्रियों की हत्या कर देगा।
- तब अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमंत्री थे। वे कमांडो द्वारा कारवाई करके तीनों को मरवा सकते थे तब कुछ यात्री भी मर सकते थे।
- बाजपेयी ने गांधीवादी रास्ता अपनाया। कमांडों को उन्हें मारने का आदेश नहीं दिया।
- यदि भारत रत्न से नवाजे गए बाजपेयी ने कमांडों से कार्रवाई कराने का साहस दिखाया होता तो मसूद अजहर मर गया होता और आतंकवाद कम होना शुरू हो जाता।
- अतः अब आप ही विचार कीजिए कि भाजपा द्वारा गांधीवाद पर, चलने से, आतंकवाद का नाश कैसे हो सकता है?

सतीश चन्द गोयल, वित्त मंत्री

भारत माता का दु:ख

साभार अभय भारत

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के प्रयास को लेकर तूफान खड़ा किया जा रहा है कि, "यदि मन्दिर बना तो देश टूट जाएगा। देश के कोने–कोने में साम्प्रदायिक उन्माद बढ़ेगा। देश रक्त की नदी में डूब जाएगा। श्रीराम मन्दिर का निर्माण भारत के सेकुलर चरित्र के विरुद्ध है, इसके कारण अल्पसंख्यक सम्प्रदाय देश से अलग हो जाएगा।" यह तूफान निर्माण करने का प्रयास २ फरवरी, १९८६ के बाद से विशेष रूप से किया गया उसके बाद ६–१० नवम्बर, १९८८ को शिलान्यास, ३० अक्तूबर, १९९० को सत्ता का दम्भ तोड़कर श्रीराम मन्दिर का शिखर ध्वजारोहण और २ नवंबर, १९९० को हौतात्मय आदि ऐसे प्रसंग रहे, जिनके कारण मुस्लिमपरस्त मुसलमान नेताओं ने देश को हिन्दू–मुस्लिम खेमे में बांट देने का हरसंभव प्रयास किया, यह प्रयास इस तथ्य को अनदेखा करके किया गया कि देश के निवासियों में मजहब और सम्प्रदाय का अभिमान जगाकर, देश के देवता के निवास स्थान को विवादित बताकर, जिस स्थान पर भारत राष्ट्र का प्रकाश पुरुष अवतरित हुआ था उसे आक्रमण और अपमान के स्मारक के रूप में अक्षत रखने का अभियान चलाकर एक देश की भूमि पर अनेक समानान्तर राष्ट्रों की आधारशिला रखेगा। एक साल बीता। ३० अक्तूबर, १९९१ को ३० अक्तूबर, १९९० के शौर्य दिवस की वर्षगांठ मनाई गई। २ नवम्बर को हुतात्माओं को श्रद्धाजंलि दी गई। देश के उस वर्ग ने देशमाता का प्राण स्पन्दन जिसके प्राणों की धड़कन है, इस दिन को जिस प्रेरणा और प्राण की शक्ति के साथ मनाया वह दिन आज नहीं तो कल राष्ट्र–पर्व अवश्य बनेगा। तथाकथित राष्ट्रीय एकता अभियान दल के छह मिलटीय नायक ने ३१ अक्तूबर, १९९६ को जो प्रदूषण पैदा किया, उसकी मारक दुर्गन्ध से देशवासी जितना शीघ्र मुक्त हो सकें उतना ही हितकर रहेगा। अगर यह 'एकता अभियान दल' अयोध्या न गया होता और इंका के श्री एम.जू. अकर श्रीराम मन्दिर में चप्पल सहित प्रविष्ट न हुए होते तो रामभक्त उत्तेजित न हुए होते। शौर्य और हौतात्म्य दिवस के संवेदनात्मक प्रसंग को राजनीतिक कुटिलता का कलंक लगाने का प्रयास भी हुआ। २१ अक्तूबर, १९९१ को कुछ रामभक्तों ने भावोद्रेक में श्रीरामलला के मन्दिर के शिखर पर भगवाध्वज फहराया तो अखबारों को पढ़कर ऐसा लगा कि "मानो इस कारण भयंकर भूचाल आ गया हो कि देश उलट–पलट हो गया हो।" यह ध्वजारोहरण श्रीराम कारसेवा समिति या श्रीराम जन्मभूमि न्यास की योजना का अंग नहीं था, तो भी श्रीराम मन्दिर पर भगवाध्वज फहराना कोई अपराध नहीं था और न ही उसकी निंदा करना किसी उदारता का परिचायक योजना और अनुशासन की बात अलग है, भावना और समर्पण का संदर्भ अलग। श्रीराम मंदिर को किसी हानि–लाभ के लेखे–जोखे के साथ जोड़ना सर्वथा अनुचित है। यह भारत राष्ट्र की राष्ट्रीयत और राष्ट्र की प्रतीक है, अतः इसे सत्ता व राजनीति की अंधी गली में न धकेलकर राष्ट्र और राष्ट्रीयता के साथ ही सम्बंध रहने देना उचित और हितकारी होगा।

फिर भी यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जिन रामभक्तों ने ३१ अक्तूबर, १९९१ को श्रीराम मन्दिर पर भगवाध्वज फहराकर शौर्य दिवस मनाया उन्होंने निर्धारित पद्धति के अनुकूल आचरण नहीं किया। इसका अपना विशिष्ट महत्व है। ३० अक्तूबर, १९९० को श्रीराम मन्दिर पर ध्वज फहराना जनता दल और मुलायम सिंह की दम्भी सत्ता की चुनौती स्वीकार करके उसे उसकी औकात बता देने की योजना का अंग था। ३१ अक्तूबर, १९९१ का ध्वजारोहण बिना किसी योजना एवं स्वीकृति के किया गया। परन्तु यह मानना होगा कि बिना किसी निश्चिम योजना के श्रीराम मन्दिर के शिखरों पर फहराए गए ध्वजों में देशवासियों की भावनाएं एवं प्राण ध्वनि निहित थे। देशवासी चाहते हैं कि श्री राम मन्दिर का निर्माण यथा शीघ्र प्रारंभ हो और उस भव्य मन्दिर में यथाशीघ्र उन्हें श्रीरामलला की अर्चना–आराधना करने का सुख–सौभाग्य प्राप्त हो। श्रीराम मन्दिर पर भगवाध्वज फहराना न कोई अपराध है और न ही संविधान या आचार–संहिता का उल्लंघन। जिस मन्दिर में श्रीराम की निरन्तर पूजा होती है, जहां घंटा–घड़ियाल बजते हैं, उस मन्दिर के शिखर पर श्रीराम का ध्वज होना ही चाहिए। इस पर आपत्ति करने का कोई औचित्य नहीं है, यह एक परम्परा का निर्वाह मात्र है।

अयोध्या राष्ट्रीय अखण्डता को अपने-अपने हानि-लाभ की तुला पर तौलने वालों के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। अयोध्या देश और राष्ट्र की प्रतीती का प्रमाण पत्र है

दंगा कराने का प्रयास

किन्तु इस ध्वजारोहण को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को कत्ल करने का हथियार बनाया गया। तथाकथित राष्ट्रीय मोर्चे और वाममोर्चे के घटकों, बाबरी मस्जिद कार्रवाई समिति, मुस्लिम लीग और भयभीत बुद्धिजीवियों ने कभी अलग–अलग तो कभी संयुक्त रूप से वक्तव्य दिए, धरने दिए, गिरफ्तारियां देकर ऐसा दृश्य निर्माण करने का असफल प्रयास किया मानो देश में कोई खूनी संघर्ष होने जा रहा है। प्रकारान्तर से इन सभी का यह प्रयास रहा कि देश, विशेषकर उत्तर प्रदेश में हिन्दू –मुस्लिम दंगा हो और वे हिन्दू–मुसलमानों के खून से अपना राजनीतिक आटा सानकर अपनी सत्ता की रोटी सेकें। ये सभी प्रसंग ऐसे रहे कि इनके प्रकाश में देश की सेकुलरी राजनीति का पाखण्ड साफ–साफ दिखाई दिया। गत वर्ष सितम्बर महीने से ही तब की मुलायम सिंह की जनता दल सरकार ने उत्तर प्रदेश को अर्द्धसैनिक बलों की छावनी और पुलिस लाइन में परिवर्तित कर दिया था। आवागमन के सभी साधनों पर रोक लगा दी थी। रेलगाड़ियां बंद थीं। सड़कों पर बसें नहीं चलीं। साइकिल पर चलना भी दूभर हो गया। पैदल चलना खतरे से खाली नहीं रहा था। हर दस किलोमीटर पर सड़कों पर अवरोध लगे थे। हजारों वर्ष से चली आ रही अयोध्या की पंचकोषी परिक्रमा नहीं होने दी गई थी। उच्च न्यायालय के एक नहीं, दर्जनों आदेशों का उल्लंघन किया गया, श्री लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या नहीं जाने दिया गया, लाखों रामभक्तों को स्थायी और अस्थायी जेलों में केवल इसलिए बंदी बना दिया गया कि वे अयोध्या जाकर शांतिपूर्ण तरीके से श्रीराम मन्दिर पुननिर्माण का अपना अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। सभ्ज्ञी सरकारी अवरोधों और राजनीतिक विरोधों के बावजूद उस समय भी कारसेवकों ने अपने प्राण देकर ध्वजारोहण किया था किन्तु तब किसी कम्युनिस्ट, किसी जनता दलीय, किसी कांग्रेसी, किसी बुद्धिजीवी, मानवाधिकारों के किसी भी झण्डावाहक ने जनाधिकारों के हनन, संविधान के उल्लंघन, न्यायालय की अवमानना, धार्मिक स्वतंत्रता पर किए गए आघात के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई थी, तब के शेष पृष्ठ 11 पर

महर्षि दयानन्द के उपकार

जगतगुरु दयानन्द थे, ईश्वर भक्त महान्।
देश भक्त धर्मात्मा, अजब वेद विद्वान।।
अजब वैदिक विद्वान, तपस्वी परोपकारी।
मानवता के पुंज, महायोगी ब्रह्मचारी।।
जीव मात्र का भला किया, प्यारे स्वमी ने।
जग को वैदिक ज्ञान दिया, प्यारे स्वामी ने।।
प्यारे ऋषि का लक्ष्य था, स्वर्ग बने संसार।
जीवन भर ऋषि ने किया, पावन वेद प्रचार।।
पावन वेद प्रचार, सकल संसार जगाया।
झेले भारी कष्ट, नहीं योगी घबराया।।
मुल्ला पण्डे पोप, पुजारी धूर्त उद्दण्डी।
ऋषि ने किये परास्त, कुचाली खल उद्दण्डी।।
दुनियाँ में फिर हो गया, शैतानों का जोर।
ढोंगी कपटी धूर्त जन, मचा रहे हैं शोर।।
मचा रहे हैं शोर विश्व में, ढोंगी ठगिया।
पापी रहे उजाड़ जगत रूपी अब बगिया।।
लाखों गऊएँ नित्य, यहाँ मारी जाती हैं।
ललनाओं की लाज रही लुट, चिल्लाती हैं।।
आर्य समाजी परस्पर, झगड़ रहे हैं रोज।
पता नहीं किस चीज की, करते हैं ये खोज।।
करते हैं ये खोज, जगत को कौन बचाए।
अचरज की है बात, बाड़ खेतों को खाए।।
जो करते अभिमान, कष्ट भारी पाते हैं।
लड़–भिड़कर नादान, एक दिन मिट जाते हैं।।
जागो प्यारे आर्यो! मिलकर करो विचार।
जगत गुरु दयानन्द के, मत भूलो उपकार।।
मत भूलो उपकार, आर्यो! धर्म निभाओ।
स्वामी श्रद्धानन्द, लाजपत, बन दिखलाओ।।
अविद्या रूपी अन्धकार, अज्ञान मिटाओ।
'नन्द लाल' कुछ काम, भलाई के कर जाओ।।

पं. नन्द लाल निर्भय 'सिद्धांताचार्य'

सरस्वती सभ्यता और कृषि कर्म

✍ डॉ० विजय कुमार झा

भारतीय संस्कृति उस महासमुद्र की तरह है, जिसमें हजारों नदियाँ सदियों से समाती रही हैं। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह दुनिया के सभी देशों की संस्कृति को अपने में समाहित कर लेती है। जिस सभ्यता और संस्कृति को इतिहासकारों ने सिंधु–घाटी की सभ्यता कह कर पुकारा है, वह मूलतः ऋग्वैदिक काल का विकसित रूप है। बाद की खुदाइयों एवं खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि वह सिंधु–घाटी से दूर सरस्वती नदी की तलहटी से लेकर गंगा–यमुना, दोआब और गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ तक तथा उत्तर भारत के अन्य स्थलों से प्राप्त हुई है और ये सभी स्थल समान सभ्यता और सांस्कृतिक एकरूपता के परिचायक हैं। अतः भारतीय सभ्यता सरस्वती नदी की घाटी में पनपी एवं विकसित हुई और इसने अपनी सुगंध से सामाजिक द्वंद्वों के बीच से निकलकर समाज की गतिशीलता को बरकरार रखा।

'ऋग्वेद' में नदियों की चर्चा व्यापक एवं सुंदर रूप में की गई है, जिसमें सरस्वती नदी के लिए तीन सूक्त हैं। अन्य स्थानों पर और विभिन्न देवताओं के साथ भी सरस्वती नदी का वर्णन आया है। 'ऋग्वेद' में सरस्वती नदी को पवित्रता का प्रतीक मानकर इसकी आराधना की गई है।

'ऋग्वेद' में ऋषियों द्वारा इक्कीस नदियों का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है–'त्रि सप्त सस्रा नद्यो महीरपो' अर्थात् तीनों लोकों (भूलोक, अंतरिक्ष लोक एवं द्युलोक) में सतत संचरित सात प्रवाह अर्थात ;३ ञ ७द्ध २१ नदियाँ हैं। इन नदियों में सरस्वती, सरयू तथा सिंधु को सबसे अधिक वेगवती, तरंगों वाली और कोलाहलपूर्ण बहने वाली माना गया है। इसलिए हमारे आर्य ऋषियों ने सरस्वती को महत्तम माता, महत्तम नदी और महत्तम देवी कहा है। यह सत्य है कि उत्तर भारत का जो वर्तमान मानचित्र है, वह 'ऋग्वेद' के काल के मानचित्र से बिलकुल भिन्न है। 'ऋग्वेद' के नदी–सूक्त (१०/७५) में जिन सात नदियों का वर्णन है, उनमें यमुना, शतद्रु (सतलज), इरावती (रावी) तथा सरस्वती स्वतंत्र रूप से बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती थीं। 'ऋग्वेद' (७/६५) में यह वर्णन आया है कि सरस्वती नदी समुद्र में गिरती थी। सतलज तथा रावी, जो वर्तमान समय में सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, वे भी सीधे समुद्र में ही गिरती थीं। चेनाव तथा वितस्ता (झेलम) भी वर्तमान समय में सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, जो इनके साथ संगम बनाकर 'महावृद्ध नदी' के नाम से उस समय जानी जाती थीं तथा समुद्र में गिरती थीं। व्यास (विपाशा) बिना सिंधु में मिले समुद्र में मिल जाती थी। यमुना स्वतंत्र रूप से सागर में मिलने वाली नदी थी। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि ऋग्वेद–काल में समुद्र का विस्तार पूर्व और उत्तर दिशा की ओर था तथा पश्चिम में समुद्र का विस्तार वहाँ तक था, जहाँ पर सिंधु की सहायक नदियाँ उसमें आकर मिलती थीं।

ऋग्वेद–काल में समुद्र का विस्तार उत्तर भारत के वृहत्तर भाग तक फैला हुआ था। पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में सूर्य का अधिष्ठान समुद्र है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ऋग्वैदिककालीन मानव सूर्योदय तथा सूर्यास्त का अभिनंदन समुद्र में ही करते थे। यह इस बात का भी प्रमाण है कि समुद्र 'सप्त सिंधु' प्रदेश के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की तरफ बहता था। सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक निवास–स्थल था। यह भारतवर्ष का उत्तर–पश्चिमी भाग था। इसमें सरस्वती, वितस्ता (झेलम), चेनाब, इरावती (रावी), शतद्रु (सतलज) तथा विपाशा (व्यास) नदियाँ प्रवाहित होती थीं।

ऋग्वेदयुगीन सप्तसिंधु के प्रदेश की प्रमुख नदी सरस्वती थी, जिसे ऋषियों ने महानदी कहा है, जिसके तट पर बैठकर वे ऋषिगण साधना किया करते थे। ब्रह्मा के शाप के कारण वह लुप्त हो गई तथा भूमिगत होकर आज भी बह रही है। सभ्यता तो बनती है और मिटती है। यह प्रकृति का खेल है। ईश्वर की इस सृष्टि में

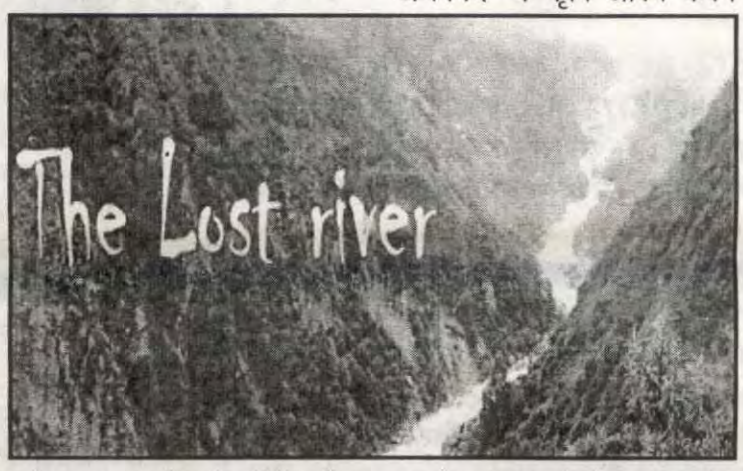

अनेक सभ्यताएँ बनी होंगी और मिटी होंगी, लेकिन सभी सभ्यताओं में वेद निश्चित रूप से रहे होंगे।

ऋग्वैदिक लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि–कर्म था। उन लोगों के आर्थिक जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि उस काल में कृषि–व्यवस्था का प्रचार–प्रसार काफी हद तक आगे था। वे कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी करते थे। कृषि–कर्म के लिए सरस्वती नदी वैदिक लोगों के लिए जीवन थी। ऋषि वसिष्ठ कहते हैं–'सिंधु नदी माता हैं और सरस्वती सातवीं नदी है। इनकी धाराएँ दुधारू गाय के दूध देने की तरह है, सुंदर प्रवाहवाली है। यह अपने जल–रूपी दूध से परिपूर्ण होकर अन्न को बढ़ाने की इच्छा के साथ–साथ बढ़ती रहें। यह एक ही नदी सरस्वती है, जो सदियों से पवित्र है और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहती है। इसने राजा नहुष की प्रार्थना सुनी और संसार के बहुत श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को सचेष्ट करती हुई नहुष की प्रजा अथवा उसके संबंधियों को दुग्ध–घृत देती रही है। हे धनवती सरस्वति! यह वसिष्ठ तुम्हारे लिए यज्ञ का द्वार खोलता है। तु शुभ्र–वर्णा है, प्रार्थी के लिए बढ़, उसे अन्न दे! तू कल्याणकारी साधनों से हमारा पालन करे।'

'कृषि' का शाब्दिक अर्थ होता है चलाना, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ है 'खेती'। 'ऋग्वेद' में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'पूषा हमारे लिए याग के हेतुभूत सोम–सहित छह ऋतुओं को उसी प्रकार लाता है, जिस प्रकार किसान यव (जौ) पैदा करने के लिए खेत को बार–बार जोतता है। यथा–

'उतो स मह्यमिन्दुभिः षड्युक्ताँ अनुसेषिधत्। गोभिर्यवं न चर्कृषत्।'

'ऋग्वेद' में 'यवंकृष' और 'सस्य' की चर्चा है, जिसका अर्थ होता है जोतकर बोए हुए बीज और उनसे उपजे हुए अन्न। 'अथर्ववेद' में कृषि आरंभ करने का श्रेय 'पृथु' को दिया गया है।

'ऋग्वेद' के अनुसार, अश्विनीकुमारों ने सर्वप्रथम ऋग्वैदिक लोगों को अन्न प्रदान किया यानि हल–प्रवाहण–द्वारा कृषि–कर्म (यवं वृकेण कर्षथः) की कला सिखलाई, बाद की संहिताओं तथा ब्राह्मण–ग्रंथों में भी कृषि का बार–बार उल्लेख किया गया।

ऋग्वैदिककाल में कृषि–कार्य मूल रूप से सरस्वती नदी की घाटी में ही संपन्न होता था। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ एवं समतल थी, जो कृषि–कार्य के लिए सर्वथा और सर्वतो भावेन उपयुक्त थी। इसलिए उक्त सभ्यता को सरस्वती–घाटी की सभ्यता कही जा सकती है।

'अथर्ववेद' में ऋषि सरस्वती नदी का मोहक वर्णन करते हुए कहते हैं–'सरस्वती नदी के तट पर मणि–जैसी चमकती हुई भूमि है। उसमें देवों ने कृषि–कार्य किया और देवताओं ने रस–युक्त मधुर यव (जौ) दिया। धान्य उपजाने के लिए सुदानी मरुद्गण किसान और इंद्रदेव हल के अधिष्ठाता बने। उस समय कार्यशील इंद्र हल का स्वामी था। वही हल चला रहा था और उदार दानी मरुत किसान था।'

उपर्युक्त जो कथन ऋषि द्वारा कहा गया है, वह आलंकारिक है। इंद्र वर्षा की शक्ति हैं। मरुत तथा वायु वर्षा के सहायक हैं। प्रकृति की संपूर्ण शक्तियाँ देव हैं, जो कृषि–कार्य की सफलता में सहायक हैं और वैदिक ऋषि स्वयं कृषक थे, जो खेती को अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। इन ऋषियों के लिए खेती पुण्य का कार्य था, जिसके द्वारा समाज का भरण–पोषण होता था। ऋग्वैदिककालीन इस परंपरा को हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के निवासियों ने भी अपनाकर जीवित रखा। हाँ, कालक्रमानुसार कृषि–कर्म की पद्धति में थोड़े–बहुत परिवर्तन अवश्य हुए, लेकिन परंपरा में अधिक अंतर नहीं आया।

यह सोचने की बात है कि आदिम काल में हथियार के रूप में पत्थर का प्रयोग होता था। जब धातुओं के बारे में लोगों को पता चला तो वे धातु का औजार प्रयुक्त करने लगे। पुनः मानव–सभ्यता अपने विकास क्रम में आगे बढ़ी, मनुष्य में अंधकार से लड़ने की क्षमतता विकसित हुई और वह ज्ञान–विज्ञान से परिचित होकर उसने जीवन–यापन के लिए एक नियम बनाया। नवीनतम भूतत्त्व–अनुसंधानकर्ताओं द्वारा की गई खोज के आधार पर यह कहा जाता है कि सरस्वती नदी को भूमिगत हुए लगभग पाँच लाख वर्ष अवश्य हो गए हैं। अब तो वैज्ञानिकों ने सरस्वती नदी के भूमिगत जलमार्ग को भी ढूँढ लिया है। 'जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग' में प्रकाशित एक शोध–आलेख में कहा गया है कि 'पूर्व हड़प्पा, विकसित हड़प्पा तथा परवर्ती हड़प्पा–काल के उस संपूर्ण क्षेत्र में विशाल सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही थी। 'ऋग्वेद' में जिस वृहदाकार सरस्वती का वर्णन है, यह वही नदी है। इतना ही नहीं, भारतीय पुरातत्त्व–सर्वेक्षण, इसरो, भारतीय भूगर्भ–सर्वेक्षण, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, परमाणु–अनुसंधान–केंद्र तथा केंद्रीय भूमिगत जल–प्राधिकरण के विशेषज्ञों ने सरस्वती नदी की विद्यमानता को माना है।' 'ऋग्वेद' (७/६५/२) के अनुसार, सरस्वती नदी समुद्र में जाकर मिलती थी।

आधुनिक भारतीय समाज के विद्वानों का एक वर्ग शायद पाश्चात्य मत से अधिक प्रभावित है। उस वर्ग में जो इतिहास–लेखन का कार्य कर रहे हैं, जिनसे यहाँ की मूल संस्कृति, जो करोड़ों–लाखों वर्ष पुरानी थी, की अस्मिता खतरे में दिखाई पड़ रही है। सच तो यह है कि सरस्वती नदी की सभ्यता लंबे समय तक गाँवों में बसती रही और वहाँ के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कृषि कर्म

शेष पृष्ठ 11 पर

ॐ कहो गर्व से, हम हिन्दू हैं ॐ

आओ! हम सब प्रतिज्ञा करें

हिन्दू राष्ट्र और हिन्दू संस्कृति कें संरक्षण के लिए भारत में वैधानिक रीति से हिन्दू राज्य स्थापित कर हिन्दू महासभा के ध्येय को साध्य करने के लिए मैं निम्नलिखित उद्देश्य स्वीकृत करता हूँ–

(1) अखण्ड हिन्दुस्थान की स्थापना (2) देश की संस्कृति तथा परम्परा के आधार पर भारत मे विशुद्ध लोक–राज्य का निर्माण (3) विभिन्न जातियों तथा उपजातियों को एक अविच्छिन्न समाज में संगठित करना (4) ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें राष्ट्र के सब घटकों के समान अधिकार तथा कर्तव्य होंगे (5) राष्ट्र घटकों के उदात्त गुणों के आधार पर विचार, प्रचार और पूजा की राष्ट्र– धर्म के अनुकूल स्वतन्त्रता का प्रबन्ध करना (6) भारतीय नारी के उदात्त प्राचीन आदर्शो को पुनजीवित करके उनकी उन्नति करना। स्त्रियों –बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना (7) हिन्दुस्थान को सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक भौतिक रूप से शक्तिशाली तथा आत्मनिर्भर बनाना (8) सामाजिक असमानता को दूर करना (9) धन के वितरण में प्रचलित अस्वाभिक असमानता को दूर करना (10) देशका शीघ्रातिशीघ्र औद्योगिकरण करना (11) जो लोग हिन्दू धर्म को छोड़ गये हैं उनका तथा अन्य लोगों का हिन्दू समाज में स्वागत करना (12) गौरक्षा करना तथा गौ वध बंद कराना (13) हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देवनागरी की राष्ट्रलिपित बनाना (14) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा उन्नति के लिए हिन्दुस्थान के हित के अनुकूल मित्रता बढ़ाना (15) भारत को आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छा बनाना।

शेष पृष्ठ 1 का **पूरे जोश के साथ लोकसभा.....**

था ताकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सके लेकिन पूरे पांच वर्षो तक सरकार ने इस मामले में कुछ नहीं किया, जब कि यह मामला भाजपा के घोषणा पत्र में भी था। जम्मू–कश्मीर में धारा ३७० हटाने में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई। हिन्दुओं के नाम पर बनी भाजपा सरकार ने हिन्दुओं के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हिन्दुओं की स्थिति देश में दोयम दर्जे की हो गई है। किसानों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसी तरह के तमाम मुद्दों तथा हिन्दू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ अखिल भारत हिन्दू महासभा लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अखिल भारत हिन्दू महासभा एक राष्ट्र, हिन्दू राष्ट्र, समान आचार संहिता, गो– संरक्षण, भव्य राम मंदिर का निर्माण सहित कई मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगा और पूरी मजबूती से चुनाव में भाग लेगा।

शेष पृष्ठ 1 का **चुनाव की रणभेरी बजी.....**

उत्तर प्रदेश की १३, और पश्चिम बंगाल की ८ सीटें शामिल हैं। पांचवें चरण में ६ मई को ७ राज्यों की ५१ सीटों पर वोट पड़ेंगे. इनमें बिहार की ५, जम्मू–कश्मीर की २,झारखंड की ४, मध्य प्रदेश की ७, राजस्थान की १२, उत्तर प्रदेश की १४ और पश्चिम बंगाल की ७ सीटें शामिल हैं. छठे चरण में १२ मई को ७ राज्यों की ५६ सीटों पर वोट पड़ेंगे। इनमें बिहार की ८, हरियाणा की १०, झारखंड की ४, मध्य प्रदेशकी ८, उत्तर प्रदेश की १४, पश्चिम बंगाल की ८ सीटें हैं... दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर भी इसी दिन वोटिंग होगी। सातवें चरण में १९ मई को ८ राज्यों की ५६ सीटों पर वोट डाले जाएंगे. इनमें बिहार की ८, झारखंड की ३, मध्य प्रदेश की ८, पंजाब की १३, पश्चिम बंगाल की ६, चंडीगढ़ की १, उत्तर प्रदेश की १३ और हिमाचल प्रदेश की ४ सीटें शामिल हैं। इसके चार दिन बाद २३ मई को नतीजे आएंगे। अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश कौशिक, राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना कुमार शर्मा एवं राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री वीरेश त्यागी ने भारत के निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव में धनबल और बाहुबल पर अंकुश लगाने की मांग की है उन्होंने कहा है कि कई उम्मीदवार अत्याधिक खर्च कर व गुंडागर्दी द्वारा चुनाव को प्रभावित करते है तथा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते है।

शेष पृष्ठ 5 का **अमर क्रांतिकारी सुखदेव.....**

फेंकने का जिम्मा पहले भगत सिंह को नहीं दिया गया था। क्योंकि पुलिस को पहले से ही उनकी तलाश थी। क्रांतिकारी नहीं चाहते थे कि भगत सिंह पकड़े जाएँ। लेकिन सुखदेव भगत सिंह के नाम पर अड़ गए। उनका कहना था कि भगत सिंह लोगों में जागृति पैदा कर सकते हैं। सुखदेव का तर्क सुनने के बाद भगत सिंह को उनकी बात सही लगी। कई लोगों ने सुखदेव को कठोर दिल भी कहा कि उन्होंने अपने दोस्त भगत सिंह को मौत के मुँह में भेज दिया। किताब में हमने यही पढ़ा है कि भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद सुखदेव बंद कमरे में बहुत रोए थे कि उन्होंने अपने सबसे प्यारे दोस्त को कुर्बान कर दिया। जब दिल्ली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केन्द्रीय असेम्बली में बम फेंककर धमाका किया तो चारों ओर से गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ। लाहौर में एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें सुखदेव भी अन्य क्रांतिकारियों के साथ पकड़े गए। सुखदेव चेहरे–मोहरे से जितने सरल लगते थे, उतने ही विचारों से दृढ़ व अनुशासित थे। उनका गाँधी जी की अहिंसक नीति पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने महात्मा गाँधी को जेल से एक पत्र लिखा जो आज भी एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। सुखदेव ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए लिखा था 'मात्र भावुकता के आधार पर की गई अपीलों को क्रांतिकारी संघर्षों में कोई अधिक महत्त्व नहीं होता और न ही हो सकता है।' सुखदेव ने गाँधी जी को ये भी लिखा कि 'आपने अपने समझौते के बाद अपना आन्दोलन (सविनय अवज्ञा आंदोलन) वापस ले लिया है और फलस्वरूप आपके सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया है, पर क्रांतिकारी बंदियों का क्या हुआ? १९१५ से जेलों में बंद गदर पार्टी के दर्जनों क्रांतिकारी अब तक वहीं सड़ रहे हैं। बावजूद इस बात के कि वे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। मार्शल लॉ के तहत बन्दी बनाए गए अनेक लोग अब तक जीवित दफनाए गए से पड़े हैं। बब्बर अकालियों का भी यही हाल है। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र केस के बंदी भी अन्य बंदियों के साथ दिल्ली में बंद हैं। एक दर्जन से अधिक बन्दी सचमुच फाँसी के फंदों इन्तजार में हैं। इन सबके बारे में क्या हुआ?' सुखदेव ने यह पत्र अपने कारावास के काल में लिखा। गाँधी जी ने इस पत्र को उनके बलिदान के एक मास बाद २३ अप्रैल, १९३१ को 'यंग इंडिया' में छापा। सांडर्स की हत्या के मामले को 'लाहौर षड्यंत्र' के रूप में जाना गया। इस मामले में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को मात की सजा सुनाई गई। २३ मार्च १९३१ को तीनों क्रांतिकारी हँसते–हँसते फाँसी के फंदे पर झूल गए लेकिन देश के युवाओं की रगों में वो उबाल ला गए। शहादत के समय सुखदेव की उम्र मात्र २४ साल थी। क्या आज ८४ साल बीत जाने के बाद भी हमारा देश अपने इस महान सपूत को उसका वाजिब सम्मान दे पाया है?

शेष पृष्ठ 4 का **केला गुणों में.....**

की सब्जी टी.बी.के रोगियों के लिए महाऔषधि है।

❖ फेफड़ों में जमा हुआ गाढ़ा बलगम पतला होकर निकल जाए, इसके लिए २०० मिलीलीटर ताजे पानी में आठ–दस ग्राम केले के पत्ते डालकर रखें। इसे उबालें बाद में इस पानी को छानकर एक बड़ा चम्मच दिन भर में तीन बार पिलाने से बहुत लाभ होता है।

❖ केले के पत्तों का रस शहद में मिलाकर पिलाते रहने से फेफड़ों के घाव भर जाते हैं। बलगम कम हो जाती है और फेफड़ों से खून आना बंद हो जाता है।

❖ जलने पर पके केले का गूदा चिपकाने से लाभ होता है।

❖ दाग वाले सड़े केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य हानि हो सकती है।

शेष पृष्ठ 6 का **देश अपना प्रदेश.....**

यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का मानवीय कार्य अभी भी समस्याओं में घिरा हुआ है।

पिछले ३०–३५ वर्षो से जम्मू–कश्मीर आतंकवाद व अलगाववादियों के अनेक षडयंत्रों से जूझने के अतिरिक्त उपरोक्त समस्याओं से भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि कश्मीरियत पर इस्लामियत चारों ओर से आक्रामक हो चुकी है। अब इससे मुस्लिम धार्मिक कट्टरता ही प्रोत्साहित हो रही है जिससे कश्मीर की मूल वैदिक संस्कृति को मिटा कर निजामे मुस्तफा की स्थापना का कुप्रयास जारी है। वैसे तो कश्मीर की कड़वी सच्चाई व समस्त समस्याओं की जड़ है विवादित व विभाजनकारी अनुच्छेद ३७० जो स्वाधीन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन, शेख अब्दुल्ला व गांधी–नेहरु की एक शातिराना चाल थी। परंतु इस अनुच्छेद की संविधान विशेषज्ञों के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन नेहरु जी के आधिकारिक दोषपूर्ण आग्रह ने इसका प्रावधान करवाया, जबकि नेहरु जी यह भी कह गए थे कि घिसते घिसते यह अनुच्छेद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। इस अनुच्छेद पर अनेक वरिष्ठ पत्रकारों व राजनेताओं ने समय समय पर अपने अपने विचारों को देश के समक्ष रखा है।

हिन्दुत्व विज्ञान की आध्यात्मिक व्याख्या है

शेष पृष्ठ 8 का **भारत माता का..........**

प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के संविधान विरोधी कार्यों और नरसंहार करने के अपराध के फलस्वरूप उनकी सरकार को भंग करने की चर्चा तक नहीं की थी। हिंसक नक्सलपंथियों और अराजकतावादी आतंकवादियों की हत्या को मानवाधिकारों और सांविधानिक मान्यताओं का हनन मानने वाले तथाकथित मानवाधिकारवादियों को २ नवम्बर, १९९० की अयोध्या हत्याकांड, कुछ भी नहीं लगा। जिन लोगों ने पीलीभीत में मारे गए आतंकवादियों के पक्ष में वक्तव्य दिए, लेख लिखे, आंदोलन की धमकी दी और कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देने की मांग की, वे सभी अयोध्या हत्याकाण्ड पर मौन रहे थे। उस हत्याकाण्ड की न्यायिक जांच करके दोषियों को दंडित करने की मांग की अपनी परम्परागत तोता रटंत भी नहीं की। किन्तु उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार के विरुद्ध अभियान चलाया। उनकी दृष्टि में भारत में रामभक्त होना अपराध है। हिन्दूहित की बात करना साम्प्रदायिकतस है। राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध होना कट्टपंथी होना है। राष्ट्रीय परम्परा के साथ जुड़ना देश में सांप्रदायिक दंगा कराना है।

वोट राजनीति की विवशता

इन सेकुलरिस्टों को केवल अयोध्या ही दिखाई देती है। इनकी दृष्टि कश्मीर, पंजाब, असम, आंध्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में व्याप्त आतंकवाद नहीं देख पाती। ये बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों की सरपरस्ती तो करते हैं, किन्तु कश्मीर से भगा दिए, लाखों हिन्दू विस्थापितों की पीड़ा का इनके लिए कोई महत्व नहीं है। अयोध्या को लेकर दो बार राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक हो चुकी है किन्तु कश्मीर, पंजाब, असम, आंध्र और तमिलनाडु में फैले आतंकवाद और अलगाववाद के कारण राष्ट्रीय अखण्डता के लिए उत्पन्न चुनौती पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाने का विचार तक उनके मन में नहीं उभरता।

ऐसा क्यों है? क्यों अयोध्या को ये लोग देश–तोड़क कहते हैं और क्यों कश्मीर, पंजाब, असम, आंध्र आदि राज्यों में व्याप्त आतंकवाद को केवल आर्थिक समस्या मानकर मौन हो जाते है? इस प्रश्न को केवल वोट राजनीति की विवशता या तुष्टीकरण कहकर टाला जा सकता है। इसमें सत्यांश भी है, किन्तु इतना ही नहीं है। इसमें यह एक मूलगामी प्रश्न निहित है कि देश और राष्ट्र की एकता की बातें करने, राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाने वाले साम्प्रदायिकता विरोधी और सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वालों को क्या देश, राष्ट्र, साम्प्रदायिकता और सेकुलरिज्म की प्रतीति है? इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो अयोध्या और आतंकवाद का समीकरण बदल जाए। तब अयोध्या, कश्मीर, पंजाब, असम, आंध के आंतकवाद का उत्तर बनकर उभरती दिखाई देगी, और इस सत्य को सभी सहज भाव से स्वीकार कर लेंगे कि अयोध्या कश्मीर से जुड़ी है, उसका उसके संदर्भ से जुड़ा रहना ही राष्ट्रीय एकता की आश्वस्ति है। अयोध्या राष्ट्रीय अखण्डता को अपने–अपने हानि–लाभ की तुला पर तौलने वालों के लिए चुनौती भी है और चेतावनी भी। अयोध्या देश और राष्ट्र की प्रतीति का प्रमाण पत्र है।

शेष पृष्ठ 7 का **असंवैधानिक है धर्मनिरपेक्षता....**

भूगोल के कारण पृथ्क मूल राष्ट्रीयता के लोगों के लिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में कोई भी पृथ्क राष्ट्रीयता का नहीं है। वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय समाज को विभाजित किया गया और धर्मनिरपेक्षता का असत्य अलाप कर देश की मूल अस्मिता को नष्ट किया जाने लगा। जिस देश में मजहब के नाम पर सुविधाएं दी जाती हो, कानून बनते हों, वह देश स्वयं को कैसे पंथनिरपेक्ष कह सकता है? प्रश्न हम सबसे है।

साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता

विशेषतायें जो अन्यत्र नहीं मिलतीं

1. पत्रकारिता के उच्च राष्ट्रनिष्ठ मानकों के लिए प्रतिबद्धता
2. राष्ट्र और हिन्दुत्व को हानि पहुँचाने वाले कारकों पर पैनी दृष्टि
3. साम्प्रदायिक और पृथकतावादी सोच पर जमकर प्रहार
4. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पारदर्शी चर्चा
5. सामाजिक सरोकारों की तह तक जाकर समाधानपरक बहस
6. प्रेरक प्रसंग, महान् व्यक्तियों से प्रेरणा लेने का माध्यम
7. भ्रष्टाचार, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय चिंतन पर तीखा आक्रमण

हमारा संकल्प

1. हम एक ऐसी समतामुलक राष्ट्रीय व्यवस्था के पक्षधर हैं जहां निर्धनता का अभिशाप न हो, किसी का शोषण न हो, न्याय वनपशुओं की चेरी न बने, सब समान हों, एक दूसरे के सहयोगी हों।
2. हम एक ऐसी संस्कृतिक व्यवस्था के पक्षधर हैं जिसमें हिन्दुत्व के सार्वभौमिक और सार्वकालिक सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया जा सके, जिससे कि हिंसा, पाप, शोषण, विषमता और संवेदनहीनता की कालिमा से विश्व को मुक्ति मिलें।

केवल इतना ही नही, अन्य भी बहुत सी जीवनोपयोगी सामग्री।
आपका साप्ताहिक, आपकी भावनाओं का दर्पण।

शेष पृष्ठ 12 का **मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी....**

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने देशभर से लगभग पाँच करोड़ मुसलमानों का एक विज्ञापन विधि आयोग को पेश किया था, जिसमें इन मुसलमानों ने माँग की थी कि उनके पर्सनल लॉ में किसी तरह का संशोधन या हस्तक्षेप सहन नहीं किया जायेगा। इसके बाद दो बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडन ने राष्ट्रीय विधि आयेग से मुलाकात करके उनसे अनुरोध किया था कि वे मुस्लिम पर्सनल लर्र में किसी तरह का संशोधन करने की सिफारिश कतई न करें। इस प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि फिक्का जाफरिया के अनुसार तलाक होने पर दो वर्ष से अधिक की आयु के बच्चे का अभिभावक उसकी माँ नहीं बल्कि उसका पिता होता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने १९९९ में निर्णय दिया है कि माँ अपने बच्चे की अभिभावक है। इसी तरह से मुस्लिम और ईसाई पर्सनल लॉ के तहत बच्चे को गोद नहीं ले सकता जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने शबनम हाशमी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिया है कि धर्म और सम्प्रदाय बच्चे को गोद लेने में बाधक नहीं बनता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी तरह का संशोधन करने का विरोध किया है।

शेष पृष्ठ 9 का **सरस्वती सभ्यता और..........**

था। खेती–बाड़ी, पशुपालन, रथ चलाने, तीरंदाजी, यज्ञ, तपस्या इत्यादि के इर्द–गिर्द इस सभ्यता का विकास होता रहा और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' पर जाकर थम गई। कालीबंगा, रोपड़, चांहुदड़ो, मोहनजोदड़ो इत्यादि सरस्वती–तट की विकसित एवं सुनियोजित बस्ती होगी, जो भूगर्भीय उथल–पुथल में नष्ट हो गई। 'ऋग्वेद' में सरस्वती नदी को 'रायश्चेतन्ती' (७/९५/२) कहा गया है। इसमें सरस्वती की विकरालता, विशालता एवं प्रचंड प्रवाह का उल्लेख किया गया है। इसमें यत्र–तत्र भूकंप, तूफान और बिजली द्वारा महाप्रलय के संकेत दिए गए हैं। ऋषियों ने सरस्वती की विकरालता का वर्णन करते हुए लिखा है कि 'जैसे कमल का जड़ खोदनेवाले उसकी जड़ को खोदकर समूल नष्ट कर देते हैं, वैसे ही सरस्वती नदी अपनी वेगवान् तीव्र लहरों से पर्वत–शिखरों को चकनाचूर कर बहती है।' भूगर्भशास्त्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि भूगर्भीय विचलन के कारण ही सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। ऐसा कब और क्यों हुआ, इस पर प्रो. बी.बी. लाल का कहना है कि एक बड़ा भूचाल ही सरस्वती के विलुप्त होने का कारण है।

शेष पृष्ठ 2 का **विनायक चतुर्थी...........**

उनसे अगले साल (हिंदी : गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ) उनसे जल्दी आने वाले वादापूर्ण वादे का अनुरोध करके उन्हें विदाई देते हैं।

भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी कथा के अनुसार भगवान गणेशजी को देवी पार्वती द्वारा उनके स्नान करते समय मार्ग की निगरानी रखने के लिए मिट्टी से बनाया गया था, जब वे स्नान कर रही थीं, उसी समय भगवान शिव आ गये, जब अज्ञानी भगवान गणेश ने प्रवेश से इनकार किया, तो भगवान शिव आक्रामक हो गये और दोनों के बीच युद्ध के दौरान भगवान शिव गणेशजी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान शिव से अपने बच्चे के जीवन को वापस देने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें बताया कि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है एक बार कटा हुआ सिर अपने मूल स्थान पर वापिस नहीं जा सकता है। हालाँकि, उन्हें नियमों में बाहर आने का एक रास्ता मिला, और देवताओं को एक ऐसे मृत व्यक्ति की तलाश करने के लिए समन्वय किया गया जो अभी भी उत्तर दिशा की ओर मुँह किया हुआ हो। गणेश चतुर्थी की कहानी के मुताबिक देवता इस जरूरत को पूरा करने के लिए केवल एक मृत को ही ढूँढ पाये, इसलिए वे इस सिर को ले आये और भगवान शिव को दे दिया और उन्होंने इसे भगवान श्रीगणेशजी की धड़ से जोड़ दिया। यह भगवान गणेशजी की कई व्याख्याओं में से एक है जिसे वक्रतुंड और गजानंद कहा जाता है।

-: तत्काल ग्राहक बनें :-

सदस्यता शुल्क

वार्षिक..150/- रुपये
द्विवार्षिक..300/- रुपये
आजीवन सदस्य..1500/- रुपये

ड्राफ्ट या मनीआर्डर
''हिन्दू सभा वार्ता'' के नाम भेजें।

पता :- हिन्दू महासभा भ न, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली-110001

नोट :- केवल स्थानीय चैक स्वीकार किये जाते हैं।

विज्ञापन हेतु भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डी.ए.वी. नं.-124778
नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट करने का दिन बुधवार - बृहस्पतिवार

डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)–11/6129/2019-20-21
रजि सं. 29007/77

यह भी सच है

मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी संशोधन का विरोध

हमारा समाज (१ अगस्त) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रतिनधिमंडल ने लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात कर इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी पर्सनल कानून में किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन को किसी भी तरह से मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुलाकात के बाद पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारत जैसे बहुध र्मी देश में नहीं चल सकती। इन मुस्लिम नेताओं ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कानून खुदा के बनाये हुए हैं और उनमें कोई भी शक्ति परिवर्तन संशोधन नहीं कर सकती। ज्ञातव्य है कि तीन तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकारों की दुहाई देते हुए सरकार ने समान नागरिक संहिता बनाने का शोशा छोड़ा है। इसके बाद विधि मंत्रालय ने लॉ कमीशन से सभी कानूनों को समझने और समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कदम उठाने पर बल दिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान से पहली मुलाकात २१ मई, २०१८ में की थी, जिसमें अध्यक्ष ने कहा था कि बहुधर्मी भारतीय समाज में समान नागरिक संहिता बनाना तो सम्भव नहीं है मगर विभिन्न धर्मों के पर्सनल कानूनों से अच्छी–अच्छी बातों को लेकर एक समान शरीया कानून बनाया जा सकता है। बोर्ड ने इस पर घोर आपत्ति की है। जमाते इस्लामी प्रमुख मौलाना जलालुदीन उमरी ने कहा कि हमने पहली बैठक में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि मुसलमान किसी भी शरई कानून में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे। जिसमें हमसे लिखित में जवाब माँगा था जिसे हमने जमा करवा दिया है। मुसलमानों के विभिन्न फिरकों के मुफ्तियों और दीन के आलिमों से सलाह–मशविरा करके तैयार किया है। इस देश में न तो समान नागरिक संहिता को लागू करने की गुंजाइश है और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जा सकता है। हम गत १४०० वर्ष से इसका अनुसरण कर रहे हैं। एक अन्य सदस्य डॉ. कासिम रसूल इल्यास ने कहा कि आयोग ने माता–पिता में तलाक होने की सूरत में बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेवारी, गोद लेने की समस्या, महिला को गुजारा–भत्ता देना और दादा की सम्पत्ति में यतीम पोते और उसकी माँ का अधिकार और सम्पत्ति के इस्लामी दृष्टिकोण से विभाजन के बारे में बात हुई। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार व्यवस्था के बारे में इस्लामी दृष्टिकोण, मॉडल निकाहनामा और अन्य देशों में मुस्लिम सिविल लॉ के बारे में विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि मुसिलम पर्सनल लॉ के महामन्त्री मौलाना वली रहमानी ने एक पत्र विधि आयोग के अध्यक्ष को लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि आयोग को इस्लामी कानून में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। रहमानी ने अपने पत्र में लिखा है कि २१ मई को हुई बैठक में अध्यक्ष ने स्वीकार किया था कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना सम्भव नहीं है। मगर विभिन्न धर्मों की बातों को लेकर एक समान कानून बनाया जा सकता है। अध्यक्ष ने उदाहरण देते हुए कहा था कि हिन्दुओं में उत्तराधिकार का कानून इस बात की अनुमति देता है कि किसी प्रकार का प्रमुख अपने जीवन में यदि चाहे तो वे सम्पत्ति का विभाजन न करके किसी व्यक्ति के हवाले कर दे लेकिन मुसलमान अपनी सम्पत्ति में से एक तिहाई सम्पत्ति के बारे में ही वसीयत कर सकता है। वह पूरी सम्पत्ति किसी को नहीं दे सकता। इसी तरह से हिन्दू समाज में एक पत्नी का कानून अच्छा है और इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए; लेकिन आपकी इस धारणा से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इससे सहमत नहीं है। आपका यह विचार भारतीय संविधान के खिलाफ है और इससे देश में नयी बेचैनी पैदा होगी। इससे साफ है कि आपका दिमाग समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहा है। इस देश में विभिन्न धर्म है, विभिन्न संस्कृतियाँ है। यह इस देश की सुन्दरता है। आप उस पर एक कानून लागू नहीं कर सकते। जहाँ तक हिन्दू समान कानून का सम्बन्ध है, उसे संसद् ने पारित किया था; लेकिन इस्लामी कानून का आधार कुरान व हदीस है जो कि सदियों से चला आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में भी इसका संरक्षण करने का वायदा किया है। एक पत्नी प्रथा का उल्लेख करते हुए मौलाना ने कहा कि एक से अधिक चार शादियाँ करने की अनुमति जो कुरान ने दे रखी है उसका आधार यह है कि व्यक्ति अपनी पत्नियों से समान व्यवहार करे और अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे शादी करने का अधिकार नहीं है। हिन्दुओं में एक पत्नी प्रथा का कानून है।

साप्ताहिक चौथी दुनिया(१३ अगस्त) ने दावा किया है कि ऑल इण्डिया

शेष पृष्ठ 11 पर

कबिरा खड़ा बजार में

बरकरार रहे पाकिस्तान पर सख्ती

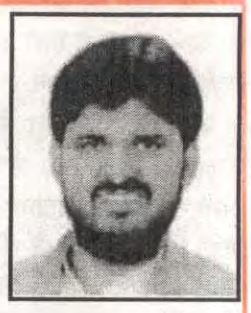

पुलवामा हमले के बाद आतंकियों का सफाया करने में जुटे सुरक्षा बलों के सामने आतंकियों ने नई चुनौती पेश की है। जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड हमला कर आतंकियों ने यह बताने की कोशिश की है कि खतरा अभी टला नहीं है। हमारी छोटी सी चूक बड़ा जख्म दे सकती है। १४ फरवरी को कश्मीर घाटी के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू–कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है। पुलवामा हमले के बाद भी कई ऐसे इनपुट आते रहे हैं,जिसमें एक और हमले का शक था। यही कारण है कि पूरे राज्य में सुरक्षा के चाक–चौबंद पुख्ता किए गए हैं। जम्मू में जिस जगह धमाका हुआ उसे शहर का हृदय स्थल माना जाता है और बेहद शांत क्षेत्र कहा जाता है। आतंकियों ने इस स्थान को इसीलिए चुना है ताकि जम्मू में भी अस्थिरता फैलाई जा सके। कश्मीर में हाईअलर्ट के बाद आतंकियों के निशाने पर अब जम्मू है, तो सुरक्षा बलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के साथ जम्मू में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बाद भी हमला हो जाता है तो यह सुरक्षा पर सवाल तो है ही खुफिया एजेंसियों की विफलता भी। एक आतंकी ग्रेनेड फेंककर भाग जाता है और सुरक्षा बल देखते रह जाते हैं, तो इसे हल्के में नहीं लेना होगा। पुलवामा हमले के बाद जम्मू–कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं उसमें इस हमले ने इसलिए भी चुनौती पेश की है क्योंकि आतंकी अब उन स्थानों को जगह बना रहे हैं जहां लोगों की भीड़ हो। बहरहाल, पुलवामा हमले के बाद से ही कश्मीर घाटी में एक.एक आतंकी को मारने की योजना सेना ने बनाई है और रोज हो रही मुठभेड़ में आतंकियों को मारा भी जा रहा है। मगर वे सेना के इस अभियान से खौफ खाने के बजाय हमले के लिए नए स्थानों का चयन कर रहे हैं। इस हमले ने जम्मू–कश्मीर के उन लोगों को भी सबक दिया है, जो सेना की कार्रवाई से आतंकियों को बचाने के लिये पथराव करते हैं। कुल मिलाकर खतरा अब भी टला नहीं है। हमारी एक भी चूक बड़ा जख्म दे सकती है। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान को उसके बिल से निकलने से पहले ही उसके फन को कुचल दिया जाए, इसलिए चुनावी माहौल के बावजूद सेना को मिली छूट बरकरार रहनी चाहिए।

वीरेश त्यागी
E-mail : viresh.tyagi@akhilbharathindumahasabha.org

नई दिल्ली पी.एस.ओ. में पोस्ट की गई डाक पंजीकरण संख्या D.L. (N.D.)–11/6129/2019-20-21
रजि सं. 29007/77
साप्ताहिक हिन्दू सभा वार्ता
दिनांक 20 मार्च से 26 मार्च 2019 तक

प्राप्तेषु

स्वत्वाधिकारी अखिल भारत हिन्दू महासभा के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मुन्ना कुमार शर्मा द्वारा स्कैन 'एन' प्रिन्ट, 115, कीर्ति नगर इन्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली मुद्रित तथा हिन्दू महासभा भवन, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित। दूरभाष 011-23365138, 011-23365354
E-mail : akhilbharat_hindumahasabha@yahoo.com, editor.hindusabhavarta@akhilbharathindumahasabha.org
सम्पादक : मुन्ना कुमार शर्मा, प्रबंध सम्पादक : वीरेश कुमार त्यागी
इस पत्र में प्रकाशित लेख व समाचारों की सहभागिता, संपादक-प्रकाशक की नहीं है। सम्पूर्ण विवादों का न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली है।